[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Declaring States of Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand as Special Category States

श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड)ः उपसभापति महोदया मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूंः-

"कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छत्तीसगढ़, उत्तराचंल और झारखंड राज्य, जो धनी जनजातीय और पिछड़ी जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास के चिर स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे संघ के क्रमशः 26वें,27वें और 28वें राज्य के रूप में नवम्बर, 2000 में अस्तित्व में आए और इन राज्यों के अनेक क्षेत्रों की जनता निम्नलिखित तथ्य के बावजूद सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास या प्रौद्योगिकीय प्रगति से वंचित बनी हुई हैं किः-

(iii) इन राज्यों में कोयले, लौह अयस्क,चूना पत्थर और अन्य खनिज संसाधनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हैंः,

(iv) वहां जड़ी बूटियों के अलावा उपयोग न किए गए जैव-विविध संसाधनों की अपार सम्पदा हैः

(v) वहां बहुत सारे स्थान विशषतः अपनी वनस्पति और जीव जन्तुओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना रखते हैं।

महोदया, यह सभा सरकार से आग्रह करती हैं कि वहः-

(i) झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराचंल के आदर्श राज्यों के रूप में व्यापक विकास को सुकर बनाने के लिए उन्हें विशेष श्रेणी का राज्य घोषित करे, जैसाकि, विजन 2020दस्तावेज में परिकल्पित हैंः

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली राज्यों की लगभग अठहत्तर प्रतिशत जनसंख्याको लाभ पहुचांने के प्रमुख उद्देश्य से व्यापक विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों परिप्रेक्ष्यों से विशिष्ट समय सीमा के भीतर कार्यक्रम बनाए और कार्यान्वित करें;

(iii) इन राज्यों में सब ओर फैले दर्शनीय स्थलों नामतः झरनों, पर्वतो पहाड़ियों, अभ्यारण्यों और पशुविहारों को देश के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए उनकी संभावनाओं का पता लगाए जिससे आम जनता के लिय व्यापक रोजगार सृजित करने के अतिरिक्त इन राज्यों के संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा; और

3.00 P.M.

(iv) विशेषतः झारंखड और छत्तीसगढ़ राज्य में छिपने के सुरक्षित स्थानों का लाभ उठाने वाले नक्सलवादियों और अन्य गैर कानूनी सशस्त्र गुटों की सभांवना को नष्ट करने के उद्देश्य से समुचित नीति तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे

महोदय, इस संकल्प को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीन राज्यों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक के तहत, इस सदन ने नवम्बर, 2000 में पास किय था। उस वक्त यह विचार किया गया था कि शायद प्रशासनिक कारणों से इन्हें हम राज्य का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन देश स्वाधीन होने के साथ-साथ पूरे देश में राज्य पुनर्गठन कमीशन के माध्यम से जो कुछ राज्यों का गठन हुआ था, वह भाषा के आधार पर हुआ था और इन राज्यों के पुनर्गठन का आधार कुछ और था। महोदया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जब हमारे देश पर सैंकड़ों वर्षो तक राज किया था तो उन्होंने उन्हीं इलाकां के विकास की चिंता की जिनका वे पूरी तरह से दोहन और शोषण करते थे। उन्होंने उन इलाकों के विकास की चिंता नहीं की जहां से उनको शोषण और दोहन करने में कोई लाभ नहीं था। यही कारण है कि उत्तराचंल के वे इलाके आज भी, देश स्वाधीन होने के इतने वर्षो के बाद भी, स्वाधीनता के विकास की किरणों से वंचित है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाके आज भी स्वाधीनता के विकास की किरणों से वंचित हैं। झारखंड के बहुत सारे इलाके खनिज पदार्थ और खनिज सम्पदा के सबसे धनी राज्य होने के बावजूद, विकास के लाभों से वंचित हैं। महोदया,देश के सविंधान को बनाने वाले पूर्व पुरूषों ने जब संविधान को लिखा तो उस वक्त यह कल्पना की गई थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर कच्छ तक हर जगह समान विकास करने की और वहां के नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वे वचनबद्व है। परन्तु देखने में यह आया कि जब सरकारें, आई, केन्द्र में सरकारें आई, राज्य सरकारें आई पर इन इलाकों को जो लाभ मिलने चाहिए थे वे इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए। मुझे यह कहते हुए जरा सी भी दुविधा नहीं होती कि ये तीन राज्य जो अलग किए गए है, उनको बीमारू राज्य कहा जाता था। उसमें एक बिहार, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश था। यह बीमारू राज्य की बात मैं नहीं कहता, बल्कि प्लानिंग कमीशन में या हमारे यहां जितने सेमिनार होते रहे हैं, उनमें इस बात की बार-बार चर्चा होती रही कि सारा भारत एक साथ स्वाधीन हुआ। सारे भारत में स्वाधीनता के साथ-साथ संविधान भी एक साथ लागू हुआ। उसके बावजूद इन इलाकों में विकास की किरणे क्यों नहीं पहुंची ? उसका मुख्य कारण यह था कि जो बाहुबलि थे, पहले तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, वे उसकी इकोनॉमिक वॉयबिलिटी देखते थे कि वे किस इलाके से क्या ले जा सकते हैं। रेल या सड़क के माध्यम से पोर्ट तक और पोर्ट से पानी के जहाज से अपने देश में क्या ले जा सकते हैं या कौन सी चीज़ वे मेनचेस्टर और लंकाशायर से लाकर यहां बेच सकते हैं, इसके बारे में सोचते थे। जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी,वहां पर विकास की कोई बात नहीं करते थे। परंतु उसके बाद, देश स्वाधीन होने के बाद भी हमारे बाहुबलि, दूरदर्शी नेताओं ने भी ऐसा नहीं सोचा कि इन इलाकों में, जहां पर हमारी वन संपदा, हमारे खनिज संपदा, हमारे खनिज संपदा, हमारे ट्राइबल बंधु, हमारे आदिवासी वन बधुं,वन वासी रहते हैं, उनके बारे में भी हम सोचें। समझे वहां की संस्कृति,सभ्यता, वनस्पति, पर्यावरण को संजोते हुए हम कैसे आयाम पैदा कर सकें कि वहां के लोगों को एम्प्लोएमेंट मिल सके। महोदया, बेसिक एमिनिटीज की जो जरूरत पड़ती है, वह है घर। हम यूनाइटेड नेशन्स में किसी भी कागज पर एज ए फाउण्डर मैम्बर दस्तख्त करते हैं तो हम शेल्टर

फॉर ऑल, हैल्थ फॉर ऑल एजुकेशन फॉर आलॅ, फूड फॉर ऑल और एम्पलोएमेंट फॉर ऑल की बात करते हैं पर इन इलाकों के बारे में हमने ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की । यह तभी हो सकता था जब वहां विकास जाता । तभी हम वहां पर लोगों को रोजगार दे सकते । रोजगार के माध्यम से जनता के हरके सदस्य की परचेजिंग पावर बढ़ती, लोगों को नए-नए आयाम मिलते । परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ-साथ लोग वहां पर मकान बनाते और वहां तरह-तरह के उद्योग उभरते । महोदया, नहीं उभरने के कारण क्या हुआ कि जो न्याय मिलना चाहिए था, उस न्याय से भी वे वंचित रहे । न्याय से वंचित रहे तो वंचित होने के कारण आज वहां नक्सलिज्म हैं । खासकर झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में वहां पर नक्सलाइट मूवमेंट चल रही हैं । वहां जो काम न्याया लय नहीं कर सकता वहां एक नक्सलाइट आकर कनपटी पर बदूंक की नाल लगाकर वह काम मिनटों में कराकर जाता है । इसको बढ़ावा मिला है और इन चीजों को रोकने के लिए मैं समझता हु कि सबसे जरूरी विकास का मुद्दा था ।इसी कारण मैं इसे लाना चाहता था । मैं उद्दत करना चाहूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने अपनी एक पुस्तक और अपने एक लेख में लिखा कि जब वे बैंगलोर गए थे तो उन्होंने स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ती एक बच्ची से पूछा कि, तुम कैसा भारत देखना चाहती हों ? उस लड़की ने कहा कि मैं एक डेवलेप्ड इंडिया देखना चाहती हूं । वह डेवलेप्ड इंडिया कैसा होगा, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें राष्ट्रपति महोदय ओर इस सरकार का जो विजन 2020 है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता हैं । महोदया, मैं चाहता हूं कि ये जो तीन राज्य एक वर्जिन स्टेट है, इनका गठन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ढांचे पर नहीं हुआ है, भारतीय ढांचे के हिसाब से, भारतीय फार्मूले के हिसाब से इनके गठन की जरूरत थी ओर इन्हें वे सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत थी, जो हमारा लक्ष्य विजन 2020 है । वहां पर जो डेवलेप्ड स्टेट या डेवलेप्ड कंट्री बनानी हैं, तो क्यों न हम इन सारी चीज़ों की शुरूआत इन तीन राज्यों से करें ? यही कारण है कि मैंने इस संकल्प के माध्यम से सदन के सामने अपनी भावना रखने की कोशिश की हैं । मैं समझता हूं कि मेरे साथी, मेरे विद्वान साथी अपने अच्छे सुझाव देकर सरकार और पूरे देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित करेंगे । हम छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल की इस अवस्था को देखते हुए विजन 2020 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें क्या-क्या स्पेशल स्तेतेस और स्पेशल पैकेज मुहैया करा सकते हैं, मैं इसके लिए सदन में चर्चा के लिए इस विषय को रखता हूं ।धन्यवाद ।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Hon. Deputy Chairperson, I support the Resolution moved by Shri S.S. Ahluwaliay/ for declaring the States of Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand as Special Category States considering their rich mineral and forest resources and weak financial condition. I draw the attention of the mover and the House to words where it has been said, "The House urge upon the Government to declare Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal as Special Category States." Could it also include Orissa and Bihar considering their bad position? तो हमने यह सोचा कि पता नहीं कैसे अहलुवालिया जी, उड़ीसा और बिहार को भूल गए, जहां कि हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरी है और यह बात सही हैं...(व्यवधान)...

उपसभापति: यह बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ।...(व्यवधान).... He represents another State.

श्री रामचन्द्र खूंटिआ: हमारा यह अनुरोध है कि बिहार और उड़ीसा को भी इसके साथ शामिल किया जाए। Madam, in the last Session also I moved a Private Member Resolution for declaring Orissa State as a Special Category State. The points made in the Resolution are very genuine. There are States which are having rich mineral resources, long coastal areas, and they are contributing to the Exchequer more, but their financial condition is very bad. Because of undeveloped areas, a number of people belonging to those States are not very much educated and their financial condition is not very good. Their per capita income is also very less and the economy of the State is in a very bad shape. Last time also, we discussed that many States are not able to spend the Central Government assistance in various schemes. Madam, as we all know, even in Scheduled Castes and Scheduled Tribes schemes, in rural development schemes and in KBK Scheme in Orissa, where the Central Government is giving assistance, the State Governments are not able to spend the money because they are not able to give their State quota, which they are expected to give. In Orissa also, the situation is same. Taking the case of mineral resources in Orissa, above 20 per cent coal deposit is found in Orissa.' Taking the case of chromite, about 90 per cent of chromite is only found in Orissa and that is also in my State and in my district Jajpur, which has 90 per cent chromite deposit of the whole country. Taking the case of nickel, about 25 per cent alumina and nickel are found in Orissa. Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand, possess forest reserves. They are also having bio-diverse resources besides herbal plants. There are also very large numbers of tourist spots in these States of Chhattisgarh, Uttaranchal, Bihar and Orissa. As we all know, in these States and in Orissa also 47.6 percentage of population lives below the poverty line. In Orissa, the State Government is not able to spend the money which has been given for digging tube-wells for drinking water. As for the National Calamity Relief Fund which has been given in 1999, till date the Government of Orissa is not able to spend the money because of the weak financial condition. The money which is being given to the KBK districts - Kalahandi, Bolangir and Koraput - for irrigation and rural connectivity, that money is not being spent and the total financial condition of the State is very bad. The Special Category Formula came out from the Gadgil Formula and ultimately approved by the National Development Council. By this way, Special Category States are getting around 90 per cent assistance, while other States are getting 10 per cent assistance. Now, the question is, sometimes the Government also is in a difficult position and their reply to our question, so far as special category State is concerned, is

that they are not coming within the formula. But, the question is that this formula, whether it is the Gadgil formula, or the National Development Council Resolution, or it is the decision of the Relief Committee or anything, the decision is taken by the Executive, it is a decision of the Government, or it has been taken in the Parliament, or in the National Development Council, which can always be changed, keeping in view the interest of the larger sections of the people. If we do not do anything for these backward States, which are not able to spend the money, the financial assistance of the Central Government and which are not economically developed, their per capita income has not increased and the number of people living Below Poverty Line also not being reduced, then, what will be the situation? And, ultimately, as it has been said by Shri Ahluwalia, naxal movement and other violent movements will definitely be created in the State. So, the situation of these States is also very much precarious and specially I emphasise that the condition of the State of Orissa is very bad, the condition of all coastal areas and also backward districts is very bad, because of recurrence of natural calamities - cyclones, droughts and floods. In other regions also, the condition is very bad. I do fully support this Resolution. I think, when it has been brought forward by no less a person than Shri Ahluwalia, who belongs to the ruling party, I think the Government should view this Resolution very seriously and assure the House that these States - Jharkhand, Uttaranchal, Chhattisgarh and also Bihar and Orissa - whose financial condition is very bad, which are not able to spend the Central assistance, but they have rich mineral resources, forest resources and other resources, which are contributing to the national economy, I think, the Government should also consider this and change the formula so that these States can also be included in the list of "Special Category States'. I think, the suggestion should be accepted by the Government and accordingly the formula should be changed. Thank you.

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): आदरणीय उपसभापति महोदया, माननीय अहलुवालिया जी जो रिजॉल्यूशन लाए हैं, मैं उस के समर्थन में बोलेन के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, तीन राज्यों की बात इस रिजॉल्यूशन में कही गयी है- झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। इसमें छत्तीसगढ़ एंव उत्तराचंल ऐसे दो प्रदेश हैं जो कि उड़ीसा के बॉर्डर से मिले हुए हैं और इन की समस्याएं भी बहुत हद तक उड़ीसा की समस्याओं से मिलती-जुलती हैं। महोदया, जिस प्रकार झारखण्ड औ छत्तीसगढ़ में खनिज सम्पदा भरपूर है,उसी प्रकार उड़ीसा भी खनिज सम्पदाओं से भरपूर है। उसी प्रकार उड़ीसा में आदिवासियों और हरिजनों की सख्यां भी झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की भांति काफी अधिक हे जिस प्रकार छत्तीसगढ़, उत्तराचंल और झारखण्ड का विकास नहीं हो पाया है, उसी प्रकार उड़ीसा का भी विकास नही हो पाया हैं।

इसलिए इस विषय में मैं उड़ीसा के संबंध में कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । महोदया, आज उड़ीसा देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों में हैं । उड़ीसा की 48 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं । उड़ीस में 40 लाख लोग निरक्षर है। आज चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट उड़ीसा में सब से अधिक हैं । उड़ीसा के 12 हजार गांवों तक आज भी बिजली नहीं पहुंच पायी हैं । उड़ीसा में मलेरिया रिलेटेड डेथ्स भी देश में सब से अधिक हैं । उड़ीसा एक ड्राउट प्रोन एरिया है ।वहां हर साल प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं- कभी साइक्लोन आ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती हैं । वहां हर दूसरे साल सूखा पड़ता हैं । इस तरह उड़ीसा की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी हैं । उड़ीसा का dedt burden हर दिन बढ़ता जा रहा है । यह आज लगभग 30 हजार करोड़ के ऊपर पहुंच गया है । उड़ीसा सरकार के सूद व dedt instalment के payment पर उस के अपने रेवेन्यू का 80 प्रतिशत भाग खर्च हो जाता हैं । महोदया, इसके अलावा सेलरी तथा पेंशन का बिल भी प्रायः 3500 करोड़ रूपए से ऊपर हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू का लगभग 40 भाग हो जाता हैं । इस प्रकार सरकार को विकास के कामों के लिए धन उपलब्ध नहीं पाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के लिए भी सरकार को और अधिक लोन लेना पड़ता हैं । इस प्रकार सरकार का लोन बर्डन बढ़ता जा रहा हैं और जो सरकार की आर्थिक स्थिति है वह धीरे धीरे डेप्ट ट्रेप की ओर बढ़ रही हैं ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष उड़ीसा का एक उदाहरण रखना चाहता हूं । उड़ीसा की वर्ष 1980-81 में पर कैपिटा इन्कम 1314 रूपए थी जबकि नेशनल एवरेज उस समय 1613 रूपए थी, जो वर्श 1990-91 में बढ़कर उड़ीसा की पर कैपिटा इन्कम 1338 रूपए हुई जबकि नेशनल एवरेज 2223 रूपए तक पहुंची औ उसके बाद वर्ष 1997-98 में उड़ीसा की पर कैपिटा कन्कम 1688 रूपए हुई तो नेशनल एवरेज उस समय 2814 रूपए तक पहुंची । इसका मतलब यह है कि जो डिफरेन्स वर्ष 1980-81 में 316 रूपए का था,वह वर्ष 1997-98 में बढ़कर 1126 रूपए का हो गया । इस तरह आप देखेंगे कि उड़ीसा हर साल पिछड़ता जा रहा हैं । ऐसी आर्थिक स्थिति के कारण उड़ीसा गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में खर्च नहीं कर पा रही है, डवलपमेंट के कामों के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही हैं । इस कारण राज्य का विकास संभव नहीं हो पा रहा हैं ।

महोदया, उड़ीसा में विकास की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि उड़ीसा खनिज संपदाओं से भरपूर हैं । उड़ीसा में 98 परसेंट क्रोमाइट हैं, प्रायः 60 परसेंट बॉक्साइट उपलब्ध हैं, 98 परसेंट निकिल है, 28 परसेंट आयरन-ओर है, 24 परसेंट कोल हैं । इसके अलावा उड़ीसा में अन्य खनिज पदार्थ हैं । इतना होने के बावजूद भी आज उड़ीसा का विकास नहीं हो पा रहा हैं । उड़ीसा में बड़ी मात्रा में वन संपदा उपलब्ध है, जहां बहुत सारे फारेस्ट प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, लेकिन उनका दोहन ठीक ढंग से न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा हैं । अगर इन क्षेत्रों का सही दोहन हो तो उससे बहुत सारे आदिवासियों को भी एम्पलायमेंट उपलब्ध हो सकेगा ।

Madam, Orissa has vast water resources both underground and surface water. But due to lack of effective water management, the State is unable to exploit these resources. Madam, the entire country is totally depending on monsoons. If there is a good monsoon, then it is alright, and, if there is a shortfall in rainfall, then there is a drought. Orissa is facing

drought in every two years. Orissa is facing floods also in every two years. So, there is a need for long-term planning for water management.

Madam, Orissa having a long coastline of about 600 kilometres, can help in generating ample business opportunities, and, it can also create a lot of employment opportunities. Madam, Orissa has a large number of talented manpower, which is not less than that of any other State in the country. In spite of all these facts, Orissa is the poorest State of the country.

Madam, because of the financial constraints of the State, and, because of lack of infrastructural facilities in the State, Orissa could not develop. Therefore, attention of the Central Government is required for the development of infrastructure. Madam, in order to achieve the targets set by the Central Government in Vision 2020 document according to which India will be a developed country by 2020, it requires special attention to be given for the development of backward States like Orissa, Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand and many other backward States in the country.

It is also required that the backward States like Orissa, Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand should be given special status so that these States can come up on a par with other developed States, only then our country can achieve the targets of making India a developed country by 2020.

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करे और इन क्षेत्रों के विकास के लिए स्वतंत्र योजनाएं ले और जैसा अहलुवालिया जी ने अपने संकल्प के माध्यम से कहा स्पेशली स्टेट का, उसके बारे में भी गंभीरता से विचार किया जाए ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास सही ढंग से हो सके। धन्यवाद।

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Madam, I would like to place this Resolution in the perspective in which I wanted it to be seen by this House. Madam, before this phase of LPG - liberalisation, privatisation and globalisation - all the intellectuals, academicians and editors of this country used to write about two nation states in India; one, that is India and the other, *Bharat.* Madam, after this LPG experiment, I do not see any enlightened literature where I feel and where I see people talking about the second India that is called *Bharat.* Madam, I would like this House to appreciate the seriousness of the situation. According to our own definition of poverty - the definition is based on nutrition or the definition based on income - twenty six per cent of the population of this country - and I believe

that is an underestimate - is Below the Poverty Line. And, if we place the population at 100 crore - it exceeded 100 crore long ago, but for the sake of argument, if we place it at 100 crore - then, 260 million people are Below the Poverty Line. But, if we take the World Bank definition which is one dollar a day, then about 350 million people are Below the Poverty Line in this country. Madam, I would like to invite your attention to this fact that for the sake of argument let us stretch our imagination and believe that we have India of 600 million people, 65 crore, and we have *Bharat* and we conceive of as a separate nation of 350 million people, 35 crore. And if that is conceived as a separate nation, for the sake of merely as an assumption, as an argument, Madam, there are 190 countries of the world which are Members of the United Nations today and we are such a nation of 350 million people, that is, *Bharat,* the poorer people of India, and, Madam, this will be the third largest nation in the world. After China and India, *Bharat* of 350 million, among the 190 nations, will be the third largest nation in the world and the poorest nation in the world. Therefore, Madam, this issue of 350 million people has to be seen in a different perspective. Even, today, after 57 years of independence, we have starvation deaths. Every starvation death is a stigma, is a blot on the polity of this nation, on the democracy of this nation, on the functioning of the whole system of governance, on all of us who are today thinking that they are overseeing this nation. Madam, therefore, we have to see when this poverty can be eliminated. I am speaking on the Resolution of Mr. Ahluwalia, an esteemed Member of this House. Why special category? Madam, we are talking of a developed India by 2020. I have been a student of Economics and Banking. From 1951 to, say, 1990, for about first 40 years, our GDP grew on an average of three per cent to three-and-a-half per cent, which was described by Mr. Raj Krishna as Hindu Rate of Growth. Our population grew by two per cent to two-and-a-half per cent. So, if from that three-and-a-half per cent of GDP growth, two-and-a-half per cent of population growth or two per cent of population growth is reduced, the net increase in GDP was one per cent. Madam, if this one per cent growth of GDP per annum is a net growth, then the doubling of per capita income will take as many as 72 years. In recent past, there have been occasions when there is 6 per cent growth, but, at the same time, in the GDP population is growing at 2 per cent, that means, the net growth is 4 per cent. And if net growth is 4 per cent, it will take 18 years to double the per capita income of our people. Even if you achieve the 10 per cent growth, which you are dreaming of, and if population is growing at 2 per cent, then the net growth will be 8 per cent

and it will take about 9 years for doubling of the per capita income. Madam, when the poverty will be ultimately eliminated, only doubling will not suffice, that means, by this yardstick minimum 28 years will be required to remove the poverty of this country and during that period our people will languish, our people will suffer debt, destruction, hunger and suicides. In Maharashtra Assembly, the Maharashtra Government has openly admitted 145 suicide cases of farmers. Now, this is a tragedy of this nation and, therefore, the issues of poverty, issues of under- development, issues of backwardness, deserve to be given serious attention, which they are not receiving today. In a progressive State like Maharashtra, which is considered to be the most progressive State of India, we have Marathwada, we have Vidharba, we have Konkan - my native place - where there are absolutely no industries, where there is devastation and there is general poverty and state of deterioration of vast masses of our people. But these are full-fledged States. Madam, I want to recall one event in this House. While discussing the President's speech this year, hon. Dr. Alexander, an erudite scholar and no less statesman than any other in this country, made a fervent appeal to your goodself, to the House and to the nation that a Backward States Commission must be constituted if we have to remove poverty, if we have to remove hunger. There is a need to set up a Backward States Commission and place a special focus on backwardness, poverty and hunger. Madam, in today's situation and with today's policy, it is not happening. With globalisation the earlier poverty is not being attended to and newer poverty is coming. As many esteemed Members have pointed out from time to time, the present model of growth is not only a jobless growth but also it is a job-loss growth and, therefore, I support Mr. Ahluwalia's Resolution. The esteemed Member has given several and very valid reasons for his Resolution. I commend this Resolution to the House. Madam, unless these States, which are new born babies, are given special status, special privileges and regarded as special category, they would be again wallowing in the same mess of poverty and generating fundamentalism, extremism of the kind that we have seen in backward areas of Andhra Pradesh with People's War Group, in Maharashtra, in Chandrapur and adjoining districts with naxalites. If we have to avoid this, I think, we have to pay our attention to these burning issues right now and give the special status and special category to these States. With these words, Madam, I commend this Resolution to the House and conclude. Thank you, very much.

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Thank you, Madam Deputy Chairman, I only wish to rise in support of this very important Resolution, which is well worded, and I particularly like the first paragraph where it urges upon the Government to declare these States as special category States. Why? With a view to facilitating their comprehensive development as model states as envisaged in the Vision 2020 document. Madam, Democracy is not enough, we pride ourselves on a liberal Democracy. And Democracy is not only about the elections, it is about development, it is about the rule of law, and if these States were formed, and I recall when Mr. Ahluwalia spoke, when the Reorganization Bill was before the House, I also joined my small voice in support of it, we all had the expectations that these States would be treated as the model States of our Republic. Why were they formed? They were formed simply because the larger States, of which they were a part, were not caring for their needs. Now, their needs are being supposed to be cared for by the people themselves in those States. But that is not enough. It is certainly the duty of the Central Government to put them under a special category. I would recommend very strongly that just as we have a Minister for the North-eastern States, we should have a Minister for these three States as well, who would, in a sense, monitor all that goes on in those States. But I must also point out to the Members of this House, such as our Left, most of the colleagues and the Ministers as well, that it is not enough merely to urge upon the Government to do everything. We have made a great mistake in .our Fundamental Rights' Chapter by only stating that the State shall not do this and the State shall not do that and it is the duty of the State to do this etc. It is the duty of every citizen to be responsible for everything that happens within the State, as well and I would urge upon those Members, who come from the erstwhile larger States, out of which these three States have been formed, to impress upon the Members representing these States in their own Assemblies to do something much more than what they are doing at present. Why have these States failed, as Mr. Ahluwalia's Resolution quite clearly and categorically points out? Why have the naxalites taken over in some parts of these States? It is simply because law and order has broken down. Why has it brpken down? It is because people are just not bothered, and that is why we have to intervene. It is not merely for Governments, it is for the.citizens of the States also to have some pride in the new States. We have no pride in all the things that we do, and therefore, I would strongly recommend that a Cabinet Ministe- should be the in-charge of these three States, and secondly, each and every Member of this House, who has any

concern with the larger States, out of which these three States have been formed, should impress upon their colleagues, who today are in control, as it were of the States, not to merely to indulge in politicking, but to see to the betterment of these States. With these few words, Madam, I support this Resolution.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Madam Deputy Chairman, I wholeheartedly support the Resolution put forth by Mr. Ahluwalia. It is after a long time that Mr. Ahluwalia has come forward before the Parliament to present a Resolution, which is wholly acceptable. Many a time, he says things which are not acceptable to this side of the House. So, I congratulate him for presenting a Resolution which has attracted spontaneous support. I went through parts of this Resolution. So, I satisfied myself that all these propositions are acceptable. Certainly, there is no objection even to accepting these States as special States. In fact, Parliament has the primary right to accept this proposition that Chhattisgarh, Uttaranchal Pradesh and Jharkhand must be declared as special States. Why not? And whatever developmental proposals are there,, and he has requested the Government to take up, we join him in saying that something should be done. In fact, I remind this House that the framers of the Constitution of India wanted India to be a secular State and a socialistic State. "Socialism" has been described variously, but "socialistic" is described in the sense that we have to care for the down-trodden. In fact, the fruits of development have not gone, on the basis of equity, to many layers of the society, and this is negligence of the power-elite of India, cutting across party lines. Therefore, the mere talk of development, the proposal of development cannot unite the Parliament. Sometimes, I feel chagrined and disappointed to find that during the last five years-1 do not say this for the sake of politics - maybe, you look backward some day and say there was a mistake - Parliament is in the process of decline. Parliament is not being taken seriously, and the Parliament's prestige got compromised a number of times; I said this in the Parliamentary Conference and in the International Conference. The Parliament has been in the process of decline, and I am pained to say that during the last five years, the Parliament's prestige got compromised on a number of occasions. But I will not raise those questions here and now because it is the Parliament which is the authority. The Executive takes birth from the Parliament. But today, Parliament is watching the situation helplessly! I can't go into details and place before this House how a couple of Ministers make statements outside which lower the prestige of Parliament.

Having said this, and giving support to this Resolution, I would also request Mr. Ahluwalia that not only for Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal, but even for the North-East for Jammu and Kashmir, many things have been done, but I am not satisfied because they are not of the optimum level. Many more things have to be done. In fact, I remind Mr. Ahluwalia and my other friends that even in the Jammu and Kashmir State, you have to do quite a lot. For instance, he has referred to the infrastructure, rightly, for these backward States. We have enormous infrastructure for tourism. We have enormous infrastructure available for exploitation in so far as horticulture is concerned. We also have tremendous potential for water resources in the Jammu and Kashmir State, but that has not been harnessed at all. I want to inform this House that despite the Prime Minister's assurances that the employment potential would be increased, nothing substantial has come up. Yes, the Prime Minister's assurances have been applauded by the people; a lot of ovation to that, and a lot of goodwill was generated. But I raise this question today that there are no special schemes for offering employment to our youth. And that is a sensitive State. We cannot leave educated youth, M.Scs, Ph.Ds, behind. We cannot offer them to the agencies working towards promotion of cross-border insurgency in that State. We have to do something special in the Jammu and Kashmir State. Therefore, while supporting Mr. Ahluwalia whole-heartedly, I wish he had mentioned "North-East" and "Jammu and Kashmir* pointedly for attracting particular attention. That he has not done. But he should keep in mind that for Jammu and Kashmir, money has come. Money comes from the Government of India; that is true. But its developmental potential is negligible. Therefore, the Central Government must rise to the occasion and do something concrete in the days left with them, whatever they are, to promote these four areas that I have pointed out, in the Jammu and Kashmir State. Thank you.

उपसभापति: श्री संघ प्रिय गौतम । आप मंत्री की तरह इंटरवीन कर रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ?

कृषि औ ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम)**:** दोनों तरह से । एक तो मैं उत्तरांचल से हूं , जिसका ज़िक्र हैं और इसके अलावा मंत्री की हैसियत से भी कुछ कहना चाहता हूं । उपसभापति महोदया, मैंने अगर सही समझा है तो अहलुवालिया जी के प्रस्ताव के दो मुद्दे हैं । एक तो यह कि जिन राज्यों का उन्होंने ज़िक्र किया है, उनमें जनजातियों की आबादी ज्यादा हैं ।और जनजातियां आर्थिक द्रिति से गरीब हैं, शिक्षा की से अशिक्षित हैं और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं । दूसरा, उन्होंने यह कहा है कि इन राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुत भारी उपलब्धता है लेकिन उनका जितना दोहना होना चाहिए और दोहन के

बाद उसका जो उपयोग होना चाहिए , वह नहीं हो रहा है । इसलिए उनकी मंशा यह है कि जनजातियों का कल्याण और इन संसाधनों का दोहन हो तो ये राज्य खुशहाल बन सकते हैं और आदर्श राज्य बन सकते हैं ।

अहलुवालिया जी और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस ओर ध्यान दिलाया हैं । हमारे देश में आदिवासी महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी है, सोज़ साहब जो चले गए- उनके जम्मू-कश्मीर में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और इसके अलावा उत्तर –पूर्वी राज्यों में भी हैं । यह भी सही हैं कि वे राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग है और करीब-करीब सबकी स्थिति राज्यों एक सी हैं मगर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमे राज्य सरकारों की एक भूमिका है और केंद्र सरकार की एक भूमिका है। यहां अन्य राज्यों के पिछड़ेपन का ज़िक्र किया गया । जब किसी भी राज्य में भूंकप आता है तो भारत सरकार मदद करती है । जब कहीं सूखा पड़ता हैं तो भारत सरकार मदद करती है । किसी भी राज्य में बाढ़ आती है तो भारत सरकार मदद करती हैं । भूचाल या चक्रवात आता है तो भारत सरकार मदद करती है । कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत सरकार मदद करती है । भारत सरकार द्वारा संचालित अनेकों ऐसी योजनांए है जिनमें राज्य सरकारों अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें ओर उनको क्रियान्वित करें तो उन राज्यों का विकास और कल्याण हो सकता है । ऐसी योजनाओं में भारत सरकार अपना हिस्सा पहले ही उन राज्यों को आवंटित करती हैं लेकिन इसके बाद राज्य सरकारें कुछ अपने आप भी मांग करती हैं । सभी उत्तर-पूर्वी राज्य आज विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है और उनके लिए अलग मंत्रालय भी हैं । उत्तरांचल राज्य ने विशष राज्य का दर्जा मांगा तो भारत सरकार ने उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया । वह विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है तो यह राज्य सरकारों की भूमका है । जहां तक आदिवासियों का सवाल है, वे देश के आदिवासी है, राष्ट्रभक्त है, कठोरकर्मा हैं, उनकी प्राचीनतम कलाएं हैं, वे कलाकार है, उनकी एक संस्कृति है और उस संस्कृति का प्रदर्शन हम यहां 26 जनवरी को भी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं और यह संस्कृति हमारे देश की एक धरोधर है । हमारे सविंधान में आदिवासियों के कल्याण और विकास सके लिए अनेकों प्रावधान है। आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, एक अलग वित्त विकास निगम बनाया गया है, उनके लिए अलग एक आयोग बनाया गया है। इस प्रकार भारत सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वाह कर रही है। उत्तराचंल का जहां तक सवाल है, बंगलो के बाद एक दूसरा इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी का संस्थान बना है जिसका उद् घाटन हमारे प्रधान मंत्री जी ने परसों देहरादून में किया और एक करोड़ रूपए की सहायता देने की घोषणा की । उन्होंने यह भी कहा कि बंगलौर और हैदराबाद के बाद शायद यह ऐसा तीसरा स्थान होगा जहां विदेशी लोग आकर्षित होंग और वहां पर आएंगे । लेकिन उपसभापति महोदया, यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि आदिवासियों ने जंगलों का- जो हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर हैं, दुनिय में आज हमारे जंगलों के जितनी प्रोडक्ट हैं, इनकी कीमत आज ज्यादा है- इनका आदिवासियों ने हमेशा दोहन किया और उनका सरंक्षण किया । यानी खाली ज़मीन थी, उस पर वे खेती करते रहे, जंगलों के फूल, जंगलों के पत्ते, जंगलों की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते रहे लेकिन जंगलों का सरंक्षण भी करते रहे । उनका बड़ा योगदान है इसलिए उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं । और सरकार इस मामले में ध्यान दे भी रही है । यह भी सही हैं कि इनमें इतने ज्यादा संसाधन है कि मैं उत्तरांचल का ज़िक्र करूंगा । झारखण्ड में इतना ज्यादा कोयल है कि दिल्ली के लोग ऊर्जा के लिए वहां से अनुबंध करना चाहते हैं, या उन्होंने किया है, मुझे ठीक तरह से याद नहीं हैं । इसके अलावा

झारखंड में लाख इतना ज्यादा होता है कि उससे हमारे ग्रामोद्योग के तहत इतने ज्यादा निमार्ण हो रहे हैं कि मेन्युफैक्चर होकर विदेशो को उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। झारखंड के अंदर यह एक बड़ी भारी कला हैं। उत्तरांचल के जंगलात में जहां लकड़ी है वहां लीहसा है और इसके अलावा वहां पर जड़ी-बूटियां भी हैं। उन जड़ी-बूटियों के दोहन से आज जो हमारी अनेक प्रकार की दवांए है, जिनको हम आज-रसायन मुक्त कहते हैं, आज बड़े पैमाने पर इनका काम हो रहा है और उनका दोहना हो रहा है। आज उत्तराचंल में आलू इतना ज्यादा है कि आज हम सारे देश में उत्तरकाशी से लाते हैं और टमाटर भी बहुत ज्यादा है कि आज हम सारे देश में उत्तरकाशी से लाते हैं और टमाटर भी बहुत ज्यादा हैं। वहां पर इतने ज्यादा झरने हैं , तेरह पनयोजनाएं है, यदि आज हम इनका निर्माण कर दें तो उत्तरांचल तो पूरी बिजली पाएगा ही और सारे देश को बिजी दे देगा। इसके साथ ही वह इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। वहां पर यह भी हमारी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक सम्पदा हैं। इसके अलावा वहां पर तरह-तरह की जड़ी-बूटिया हैं जिनसे हर्बल दवाइयां बन रही है, अभी मुझे पता नहीं कि किस तरह से स्थगित हो गया लेकिन सरकार का वहां पर आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साईस खोलने विचार है। सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों का विकास करने का है और इस दिशा में सरकार कदम उठा रही हैं। लेकिन राज्य सरकारों की भी अपनी जिम्मेदारी है कि वह केन्द्र संचालित योजनाओं में अपना योगदान करें और उनका क्रियान्वयन भी करें। इसके अलावा किन्ही विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों की यदि कोई आवश्यकता है तो उसकी वह मांग करें। मुझे उम्मीद हैं कि हमारे प्रधानंमत्री जी का ह्रदय बड़ा विशाल है। वैसे तो मैं प्रारंभ में कहता लेकिन फिर भी महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इस सदन को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज राज्य सभा का सत्र जब प्रारंभ हुआ तो वर्षो से प्रारंभ हुआ हैं। वर्षो का आना, किसानों के लिए सोना बरसने जैसा है। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो मैं आपके माध्यम से इस सदन को भी कहूंगा कि सदन के प्रारंभ होते ही वषो हुई है, यह भविष्य के लिए अच्छे आसार है। यदि यहां पर कांग्रेस वाले होते और सुनते तो उन्हें भी पीड़ा होती कि यह जो आज वर्षो हुई है, यह भविषय के लिए अच्छे आसार हैं। यह जो आज वषो हुई हैं, यह किसानों के लिए सोना बरसा है। मैं अपने देशवासियों और किसान भाइयों को भी, वर्षा के आगमन पर इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और अहलुवालिया जी के प्रस्ताव का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि सरकार इस मामले में पूरी तरह से विशेष जागरूक हैं, सचेत हैं और आगे कदम उठा रही है, काम कर रही है और कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी इसलिए आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लेना।

उपसभापति : आपने मंत्री के तौर पर सपोर्ट किया है ?

श्री संघ प्रिय गौतम: इस आशय के साथ सरकार सचेत है, सजग है और इस दिशा में काम कर रही है। मैने स्पष्ट समर्थन किया है।

उपसभापति: अगर वोटिंग होगी तो आप सपोर्ट करेंगे ?

श्री संघ प्रिय गौतम: वह तो हमने कह दिया कि सपोर्ट करेंगे इस नाते क्योंकि हमें इसको करना हैं। हम इस काम को करेंगे और कर रहे हैं।

श्री ललितभाई मेहत(गुजरात)**:** उपसभापति महोदया, श्री अहलुवालिया जी द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने यह मंशा व्यक्त की है कि इन तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

(उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के.पटेल) पीठासीन हुन)

श्री ललितभाई मेहता: इस देश में अभी दो कैटेगिरी के राज्य हैं। ग्याहर राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशष कैटेगिरी, विशेष दर्जा दिया गया है। अगर हम पूर्वाचल के राज्यों की परिस्थिति पर विचार करें तो वहां पर देश की आबादी 3.75 प्रतिशत ही है लेकिन विशेष प्रावधान के कारण वहां भारत सरकार के खजाने से जो धनराशि जाती है, वह बीस प्रतिश के करीब है। इतनी धनराशि जाने के बावजूद भी पूर्वोचल के इन सात राज्यों की परिस्थिति क्या हैं , यह हमें पता है। उपसभापति महोदया,ग्यारहवें वित्त आयोग में एक बात कहीं गई थी कि भारत की सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, वह साढ़े चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और राज्यों का फिस्कल डेफिसिट ढाई प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि अगर हम केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार के फिस्कल डेफिसिट को देखें तो वह दस प्रतिशत से भी ज्यादा, करीबन बारह प्रतिशत आ जाता है। राज्यों का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के कारण-हमारे फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट और उसका जो अमलीकरण हुआ, उसके कारण राज्यों पर अपने कर्मचारियों के वेज बिल का भार बढ़ा। अगर केंनद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन बिल देखें तो वह करीब 30,000 करोड़ रूपए के करीब जाता हैं। केंद्र सरकार सीधे ही नहीं लेकिन राज्य सरकारों में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज हमारे पास है, उसमें बिजली में अगर पूरे देश पर विचार करें तो 33,000 करोड़ रूपए का घाटा इन बिजली बोर्डो का आता हैं। हम पिछड़ें राज्यों की कैटेगिरी देकर, उन्हें विशेष सहुलियतें देंगे, लेकिन ये जो मैने मूलभूत बातें बताई हैं, अगर हम इन पर विचार नहीं करेगे तो मुझे लगता है कि राज्यों को आप थोड़ा और ज्यादा राशि दे भी दे तो भी वे उसका विकास के काम में उपयोग कर पाएंगे, वैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। उपसभापति महोदया, हमारे यहां दस-बाहर साल पहले, 1990 में टैक्स जी.डी.पी. रेशो करीबन ग्यारह, साढ़े ग्यारह प्रतिशत था, वह आज घटकर नौ प्रतिशत हो गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों का राजस्व नहीं बढ़ता। पूरे देश में हमें यही चित्र देखने को मिलता है। हम आय बढ़ाने का विचार नहीं करते, राजस्व बढ़ाने का विचार नहीं करते। अहलुवालिया जी ने ठीक कहा है कि इन तीन राज्यों में जो कुदरती संसाधन हैं, उसका पूरा उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और न ही किया जा रहा है। अगर हम अपने देश के कृषि क्षेत्र को देखें और पूरे देश पर विचार करें तो आज चार करोड़ हेक्टेयर के करीब हमारी जमीन ऐसी है जिसका हम खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं लेकिन किया नहीं जा रहा हैं।देश में अठाइस करोड़ का पशुधन है, आज उस पूरे पशुधन के उपयोग के लिए कृषि मंत्रालय ने नई सोच की है कि जैविक खाद का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दें। सही दिशा का यह कदम है। मैं सदन का स्मरण दिलाना चाहूंगा कि उत्तराचंल की सरकार ने कोशिश करके यह क्रांतिकारी कदम उठाया कि पूरे उत्तरांचल राज्य में जैविक खेती को राज्य प्रोत्साहित करेगा। इसके कारण दो तात्कालिक लाभ मिलने वाले है। पहला यह कि हमारे देश का पशुधन, जिसका उपयोग आज नहीं हो पा रहा है , वह हो पायेगा और दूसरा जो कैमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्ज़ हैं, इनसैक्टिसाइड्ज हैं, उसके कारण देश के लोगो में कई प्रकार की बीमारियां फैली है, रोग बढ़ते जा रहे है, उन पर भी काबू पाया जा सकेगा। देश में अनेक राज्य ऐसे हैं जहां कि कुदरती संसाधनों का उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बारिश का जो पानी एक साल में पड़ता है, 66 हजार तीन मिलियन क्यूबिक फीट वॉटर फॉल्ज आन् द लैंड आफॅ् इडिंया, लेकिन उसमें से 42 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी समुद्र में बह करके चला जाता है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने

4.00 P.M.

यह सही कदम उठाया है कि पूरे देश की नदियों को जोड़ देंगे और इसके लिए टॉस्क फोर्स बनी है, जाकि आगे काम कर रही है । लेकिन हमारा यह कुदरती ससांधन, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण रख करके यह बात कहना चाहूंगा कि हमारा गुजरात का राज्य जहां पर 1960 से लेकर 2002 तक, 42 वर्षों में कभी भी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन 14 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इस साल बारिश अच्छी होने के कारण वह कृषि का उत्पादन 21 हजार करोड़ रूपये का हो गया । तो पानी में कितनी ताकत है और वह कैसा आर्थिक चमत्कार ला सकता है, उसे हम अच्छी तरह पहचाने और उसका सही मात्रा में उपयोग करें ।

अहलुवालिया जी ने टूरिज्म वाली बात कही है । हमारे इन तीनों राज्यों की परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर हमारे देश के टूरिस्टों के लिए भी व्यवस्था करके और इसको आकर्षक बना करके टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते है तथा साथ ही विदेश के टूरिस्टों के लिए भी विशेष व्यवस्था करके हम वहां पर राजस्व बढ़ाने का कदम उठा सकते हैं । हमारे यहां इन राज्यों में जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती है, राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं, इस संबंध में मै यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार की कितनी योजनाएं है और केन्द्र कितनी योजनाओं में धनराशि आवंटित करके सहायता देता है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि केन्द्र की योजना तो रहती है लेकिन राज्य का उसका लाभ नहीं होता है । जैसे गुजरात के राज्य में अब परिस्थिति ऐसी है कि पूरे गावं इलैक्ट्रिफाई कर दिए गए और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार की योजना है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं हैं । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इन तीनों राज्यों में अगर ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर केन्द्र की योजनाएं हैं या केंद्रकृत योजनाएं है, उसके बजाय उन राज्यों को जय करने दें कि भारत सरकार की राशि का उपयोग उन्होंने किन क्षेत्रों में करना है और किस हेतु करना हैं । अगर यह होगा तभी इन राज्यों को अधिक मदद मिलेगी ।

एक और उल्लेख, इन तीन राज्यों को ध्यान में रख करके मैं यह भी करना चाहूंगा कि पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने एक सही कदम उठाया है । राज्यों के पास जो ऋण बकाया है, उसकी ब्याज़ दर जो ज्यादा थी उसको कम किया ताकि कम दर पर इन राज्यों को ऋण मिले । इसके लिए ऋण ट्रांसफर करके यह व्यवस्था की, ताकि कम ब्याज़ पर ऋण मिलें और उसकी राशि भी बढ़ाई । लेकिन प्लान एक्सपेंडीचर और नॉन प्लान एक्सपेंडीचर करके हमने जो दो विभाग कर दिए, कई बार परिस्थिति यह रहती है कि प्लान एक्सपेंडीचर, नॉन प्लान एक्सपेंडीचर के दो विभाग रहने के कारण जितनी भी राशि आवंटित की जाती है...। तो ऑडिट के सवाल उठ जात हैं कि आप ने नॉन-प्लान की राशि प्लान में क्यों डाल दी या प्लान राशि को नॉन-प्लान में क्यों ले गए ? इस तरह वह राशि उन के पास आती तो है, लेकिन वे उस का उपयोग नहीं कर पाती हैं । दूसरी बात, इन राज्यों को केन्द्र की जो राशि आवंटित की जाती हैं, उस के तहत केन्द्र से साढ़े 29 प्रतिशत राशि राज्यों को आवंटित की जाती है, लेकिन अनुभव यह रहा है कि यह राशि 27 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहती । केन्द्र सरकार के बजट की यह ढाई

प्रतिशत राशि जो ग्यारहवें फायनेंस कमीशन ने बतायी है, वह भी इन राज्यों को नहीं जाती । इस कारण इन राज्यों की वित्तीय परिस्थिति और बिगड़ती है । इसलिए हमें इस बारे में भी ध्यान देना होगा ।

महोदय, मैं यहां एक और सुझाव देना चाहूंगा । महोदय, जैसे हम ने दोनों सदनों से फिस्किल रिस्पांसिबिलिटी, एंड मैनेजमेंट बिल पास किया है, वैसे ही राज्यों की सरकारों पर भी ऋण लेने के लिए कुछ रोक लगनी चाहिए नहीं तो होता यह है कि राज्यों की सरकारें भी ऋण लेने के लिए बाजार में आ जाती हैं । इस तरह उन का ऋण बढ़ता जा रहा हैं । महोदय, पिछले 5 सालों में यह ऋण ढाई लाख करोड़ से बढ़कर साढ़े चार लाख करोड़ हो गया है । इस तरह राज्यों की निर्बाध ऋण लेने की यह जो प्रवृत्ति है, वह भी हमारे लिए चिंता का कारण है । इस पर भी हमें ध्यान देना होगा । महोदय, दूसरे राज्यों के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उस की परिस्थिति भी बिगड़ती जा रही हैं । हम जिसे tax buoyancy कहेंगे, उस पर भी ध्यान देना होगा । आज जो देश में आर्थिक सेवाओं पर राज्यों को जो रिटर्न मिल रहा है, वह 9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिल रहा हैं । राज्य एक रूपए की आर्थिक सेवा दे रहा है, लेकिन उस को 9 पैसा आ रहा है । महोदय, सामाजिक सेवाओं की स्थिति इस से भी बदतर है । इस से राज्यों पर खर्च का भार बढ़ता है, लेकिन उन को रिटर्न चार, साढ़े चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलता । इस तरह हमें राज्यों की पूरी वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा । साथ ही विशेष परिस्थितियों में विशेष राज्यों को जो दर्जा दिया गया है, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारे कुदरती संसाधनों का ज्यादा-से ज्यादा उपयोग हो और इन तीन राज्यों की जो परिस्थिति है,उस में इस का हल निकाला जाय ।इतना ही कहकर मैं एक बार फिर अहलुवालिया जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अजय मारू (झारखंड)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री एस.एस. अहलुवालिया जी द्वारा लाए गए इस संकल्प का मैं स्वागत करता हूं । माननीय अहलुवालिया जी और मैं भी इस सदन में झारखण्ड प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस संकल्प में इस राज्या को भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का श्री अहलुवालिया जी का संकल्प स्वागत योग्य हैं ।

महोदय, झारखण्ड इस देश का 28 वां राज्य हैं । इस का निर्माण भी उत्तराचंल और छत्तीसगढ़ के साथ आज से तीन वर्ष पूर्व किया गया था । महोदय, इन तीनों राज्यों के निर्माण का श्रेय इस देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है क्योंकि उन्होंने चुनाव के पूर्व वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इन तीन राज्यों का निर्माण करेंगे और उन्होंने इन तीनों प्रदेशों का निर्माण किया । महोदय, अभी माननीय अहलुवालिया जी ने ब्रिटिश-काल का उदाहरण दिया, लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि विशेषकर झारखण्ड का केवल ब्रिटिशों न ही नहीं बल्कि जो पूर्व की सरकारें थी-कांग्रेस पार्टी इस देश में 40 वर्ष तक शासन करती रही, हमारे प्रदेश में भी उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया और 10 वर्ष तक रा.ज.द. की सरकार ने शासन किया , लेकिन उस क्षेत्र का हमेशा शोषण होता रहा । कांग्रेस की सरकार देश में थी, लेकिन उन्होंने अलग राज्य निर्माण की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि राज्य सभा में भी और नये लोक सभा में भि उनका बहुमत रहा । माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये प्रदेश बनाकर उन क्षेत्रों के विकास के लिए एक नया कदम उठाया हैं । हमारे देश का जो कोयले का भंडार हैं, उसका 33 प्रतिशत कोयल हमारे झारखंड प्रदेश में हैं इसके अलावा कई खनिज संपदाए भी वहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं ।

महोदय, जब एकीकृत बिहार था तो उस समय आज के झारखंड को दक्षिण बिहार कहते थे, जिसके विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आय के स्रोत जो उस प्रदेश के थे, उसमें 70 प्रतिशत अंश इसी क्षेत्र से बिहार को जाता था और जो बिजली का उत्पादन है वह भी दक्षिण बिहार में होता था, लेकिन दक्षिण बिहार का वह क्षेत्र हमेशा अंधेरे में रहता था। आजादी के 53 वर्ष बाद भी उस क्षेत्र के जो 32 हजार गावं है, उनमें सिर्फ साढ़े तीन हजार गांवों में ही बिजली दी गई थी, लेकिन पिछले इन तीन वर्षो में जबसे झारखंड प्रदेश की नई सरकार बनी है वहां पर उन्होंने चार हजार गांवों में बिजली पहुंचा दी है और इस वर्ष सात हजार गांवो में और बिजली दी जा रही हैं। उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण कई विदेशी कंपनियां वहां आई और उन्होंने कहा कि अगर उस क्षेत्र को उनके हवाले कर दिया जाए तो वे उस प्रदेश, जो उस समय बिहार था, को सबसे विकसित, उन्नत और अधिक आय वाला राज्य बना देंगे। मुझे उस समय का एक वाकया स्मरण है कि जापान से कुछ लोग आए थे, जो उस क्षेत्र में काफी दिनों तक रहे और उन्होंने उस समय के नेताओं से कहा कि आप हमें अगर यह क्षेत्र दे देंगे तो हम इसे जापान बना देंगे, लेकिन वहां के जो हमारे नेता थे वे मजाक मजाक में कहने लगे कि आप हमें जापान दे दीजिए हम उसे आपको आधे समय में बिहार बनाकर दे देंगे।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारायह क्षेत्र खनिज संपदाओं से, वन संपदाओं से, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। उस क्षेत्र से उस समय 1400 से 1700 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन उस क्षेत्र में मात्र 500 से 600 करोड़ रूपए ही व्यय किए जाते थे, लेकिन झारखंड राज्य अलग बन जाने के बाद हमारे तीन बजट जो सरकार ने प्रस्तुत किए हैं वे सरप्लस वाले बजट हैं और इस प्रकार सरप्लस बजट वाला वह एकमात्र प्रदेश हैं। वहां पर अभी तीन हजार से चार हजार करोड़ रूपया प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है। जो दो राज्य और बने हैं उनमें सी संभावनाएं अनंत हैं। झारखंड एक ट्राइबल डोमीनेटेड राज्य है। वहां की कुल आबादी के 27 प्रतिशत लोग आदिवासी है और काफी बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोग भी वहां रहते हैं। हमारे झारखंड प्रदेश का जो बजट हैं, उसमें काफी विकास का कार्य हुआ है। अब कोई व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में जाता है तो उसे वहां बदलाव नजर आता हैं।

महोदय, झारखंड को विशेष दर्जा दिया जाना बहुत ही आवश्यक हैं क्योंकि अगर यह विशेष दर्जा दिया जाता है तो वहां पर खनिज पर आधारित उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता है। आज दिल्ली, जहां हम लोग रह रहे हैं, यहां पर प्रतिदिन रेलवे के तीन-चार रैक कोयले के वहां से लोड होकर आते हैं। अब अगर वहां विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है और वहां पर थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो यहां पर जो आज कोयला वहां से आता हैं उसकी जगह पावर ट्रांसमिशन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा सकती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में स्टील के कई उद्योग लगाये गए है। आज भी वहां पर इस देश का सबसे पुराना टिस्को का स्टील उद्योग है, जो जमशेदपुर में स्थापति है और जो सौ साल से भी ज्यादा पुराना हैं। वहां पर सबसे सस्ती दर पर स्टील का उत्पादन हो रहा है। वहां पर बॉक्साइट भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अलुमिनियम उद्योग काफी लगे हुए है। अगर इसे विशेष दर्जा दिया जाता है तो और भी नये उद्योग वहां पर लगाए जा सकते हैं। और वहां पर लोगों को रोजगार के नए –नए अवसर मिल सकते हैं। उद्योग-धंधों से वहां अन्य व्यवसाय और भी फल-फूल सकता है। नए-नए उद्योग लगने से वहां जो नक्सलवादी उग्रवाद है, उस उग्रवाद की समस्या को भी काबू किया जा सकता

है । झारखंड में दर्शनीय स्थलों की कोई कमी नहीं है । झरने, पहाड़, अभ्यारण्य तथा पशु-विहारों की भी वहां पर कोई कमी नहीं है । हम अगर यहां दिल्ली प्रदेश के बगल में प्रदेश हरियाणा में जाते है तो देखते है कि वहां पर आर्टिफिश्यली फॉल्स और कई ऐसी चीजें बनाई गई है, जबकि झारखंड में रांची के आसपास 30-40 किलोमीटर के रेडियस में कई जल प्रपात है । पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया हैं और अगर इसे विशेष श्रेणी का राज्य बना दिया जाए तो पर्यटन उद्योग में लोग बाहर से भी यहां पर धन का निवेश करेंगे और इससे वहां पर नए-नए पर्यटन उद्योग खुल सकते है ।इससे इस क्षेत्र में बाहर से निवेश आएगा और इससे भी वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा । अगर यह उद्योग वहां पर फैल जाएगा तो सिर्फ झारखंड प्रदेश के ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी उस क्षेत्र में आएंगे ।

झारखंड में अभी 22 जिले है जिनमें से 15 जिले उग्रवाद से प्रभावित है और यह उग्रवाद हमें विरासत में मिला है । जब एकीकृत बिहार था, तभी से उन जिलों में उग्रवाद था और उग्रवाद का एक मुख्य कारण यह था कि वहां के गांवों में कोई विकास नहीं हुआ था, सड़कें नहीं थी । जब से यह सरकार आई है, इसने 5000 से अधिक गांवों में सड़कों का जाल बिछा दिया है । वहां के गरीब, आदिवासी नवयुवकों के पास रोजगार के साधन नहीं थे और चूंकि वहां पर कुछ जगहों पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं इसलिए वहां के युवक उग्रवादियों के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चले गए है । अगर वहां पर भी, उन गांवों में कृषि आधारित उद्योग, वन्य उत्पादों पर आधारित उद्योग, जड़ी-बूटियों आदि के उद्योग लगाए जाएंगे और उनसे जब इनको रोजगार मिलेगा तो वे अभी जो उग्रवाद के रास्ते पर भटक गए है, वे भी फिर से मूल धारा में आ जाएंगे । अन्य राज्यों में, 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है, अगर इन तीनों प्रदेशों को भी यह दर्जा दे दिया जाएगा तो ये राज्य देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करेंगे । कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्रि-परिषद के कई सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले थे तथा झारखंड के विकास के लिए वहां पर उद्योग धंधों का जाल फैले, इसके लिए झारखंड में एक स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव भी उनके समक्ष रखा था जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है । महामहिम राष्ट्रपति जी का तथा हम सबका जो विज़न है, सपना है, इस देश को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का, वह तभी साकार हो सकता है अगर इन प्रदेशों को विशेष दर्जा दिया जाए । जैसाकि मैनें कहा कि झारखंड खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न है और उत्तराचंल जहां पर हाइडल पावर और पर्यटन के बहुत से नए आयाम खोले जा सकेंगे, उसी तरह छत्तीसगढ़ भी खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय अहलुवालिया जी जो यह संशोधन लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हु और सरकार उस पर उचित विचार करे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है । धन्यवाद ।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, as a matter of fact, as Prof. Soz just told, to get such a Resolution from my friend Ahluwalia was a good change. I did not give my name only for the reason that I did not want that if I say something while supporting the Resolution which may not be liked by Mr. Ahluwalia, then again there will be bitterness which I did not want for this particular Resolution which I welcome for the intention as it is.

Here I come to the point, as one of our speakers, a Shiv Sena Member, told that it is not a formation of the State alone, it is not a question of giving Special Status, that is definitely required, ...but, the approach, the growth pattern, which we are now seeing in this country is not good. It is a jobless growth. It is a job-loss growth. The figures do not help. He, while moving the Resolution, said correctly, that these States have been formed with certain dreams. I think the time has come that, while replying to the debate, the hon. Minister will take steps to fulfil those dreams. Now, these States were formed with certain objectives. There is some debate. अभी जो पोलिटिक्ल ऐटमॉस्फेयर चल रहा है , I am sure, if these States are feeling good - we are having some 'feel good' factor in the country - Mr. Ahluwalia would not have been forced to bring forward this Resolution before this House. Certain papers in the country and my hon. friend described them as "Bharat and India." You have seven crores of mobile users in the country. But 93 crores of people do not have. So, it is for us to decide where we should lay our stress. What priorities should we have? Is it okay that if seven crores of people are using mobile phones? It is one part of it. Or, should we think about the remaining 93 crore people? The figures show that it is thirty-five crores. Here comes my first question. After the formation of the States, the objectives that have been envisaged, as far as the development is concerned, whether these have been fulfilled. What are the positive and negative points? Whether any specific analysis, based on figures, not on emotions, not on political formations, not on 'feel good factor' or shining factor, has been done as to where we stand. As Mr. Ahluwalia said, that irrespective of the position we have to see where we stand. I know a little about Jharkhand because I have an association with it. Sir, you had been the Fertilizer Minister. If you remember, once I had to come to you in connection with some of the fertilizer units. I find that 78 per cent of fertilizer is produced in Jharkhand. .My friend is smiling at me. I have also approached him. When the biggest plant - India's first public sector fertilizer unit - in the country, Sindri, was closed, one can imagine the feelings of the people there. It ran upto 1999-00. Apart from financial results, its sickness and technology did any one see - I had also raised this point here when Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister - that when a plant is shut down, there is a financial cost and the other one is the replacement cost. Fertilizer unit produces fertilizer. Do you have market for this in this country? If you have a market and if you say, 'yes fertilizer is something which is required in the market by the farmers,' and if that plant is closed, what is the replacement cost? If the plant is closed,

you can forget about that plant. But, here, urea and fertilizers are required by the farmers. If you don't produce here, that has to come either from outsider or you will have to have a new factory because there is a demand. What is the replacement cost of one Sindri unit? This unit was there in Jharkhand. What is the social cost? This cost has also been included before you go in for closure cost.

Sir, now, I come to the Heavy Engineering Corporation, Ranchi. What is the position of it today? I understand that some of the engineers working there want to run this corporation on their own, but they have some financial difficulty. I do not want to go into the details. This is what is called analysis. But, in an industry it is called strength, weakness, opportunities and threats. Mr. Ahluwalia is kind enough to describe that these are the opportunities, these are the strengths of these areas -Uttaranchal, Chhattisgarh and Jharkhand. These are the areas of strength. These are the areas of opportunity. But, it is necessary that if we want to improve it seriously, I am sure, Mr. Ahluwalia is serious about it, if the Government of the day or the Government that is going to come is serious, it should give a thought to it. We must boldly highlight the weaknesses or threats. If we do not do it, I am sorry, the whole atmosphere, which you are creating in this country, by showing only bright areas - we must take pride in what we are doing - is going to be vitiated. Sometimes, I do not like comparing the past fifty years with the last five years, यह पांच-पचास की बात नहीं हैं । It is not a question of this Government or that Government. Sir, Sindri Fertilizer Plant and the Heavy Engineering Corporation were set up with the toil of the masses, workers and engineers, यह हिन्दुस्तान की जनता के पैसे से बनाया गया था I It is not a question of the BJP Government or the Congress Government. इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया । But those things stand. Something stands. If you have created something - a new State had been created - let it go. Yes, something had been created. Who was there? It is immaterial whether Nehru was there or Vajpayee is there *or* X, Y or Z is there. That is not the matter. There are mineral resources. What is the planning of the Government when the States were formed? What was the planning and what have they achieved? Unless this types of analysis comes - I am sure what we are doing is not politics; it has become more than politics - the country cannot become a sort of corporate unit entity. And, the whole of country's achievements or failures cannot be treated on a par with the companies. It is not company's' fair business. ये कम्पनियां बीच में खोखली भी हो गई, कम्पनियों की बेलेंस शीट में प्रजेंटेशन अच्छा रहेगा। एडवरटाइजमेंट होगा। That is a running company. You cannot run a country

like this. This concept, which has come, is becoming the biggest problem. That is why you create a State, today, you give a special status to that. But what is our approach? That is the most important point. I am sure, when the hon. Minister replies to it, he would address it. Ahluwaliaji has mentioned about short-term and long-term perspectives. There will be long-term perspectives. But where do we stand, today? Mr. Ahluwaliaji has very specifically mentioned - and, he is very correct - about backward populations related to socio-economic development. This is how he talks. Now, we talk that caste conflicts are going on. Our party does not believe in these castes and tribes. One of the major issues, on which most of the parties are talking, is reservation - reservation for backwards, reservation for tribals, reservation for economically weak belonging to forward castes and so on and so forth. But what is the idea of reservation? Reservation for whom? When there are no jobs, how is reservation policy going to help? Under such circumstances, how can you have reservations? When there were reservations in these units, say, in BALCO, they were privatised. I am not talking about the ideological part of privatisation. Mr. Arun Shourie is not present here; so, there is no point in talking about it. But have you taken care of the social point of it? There was reservation in these public sector units. Are we going to have - in this Government's concept of privatisation - any reservation of posts for these tribals? Then, about their land. The land is the first and the foremost thing for this. What steps should we take? This cannot be done by the State Governments alone. These are the policy directions how you give land to these people, where they can say, "This is my land". How do you protect the environment there? These are the basic policy issues. The implementation comes only then. Part of implementation is different. But what are the policy directions—in this regard, so far as the land is concerned; so far as jobs are concerned? These are the two basic issues which had attracted the people when the State was formed. सपना दिखा दिया, सपने ठीक नहीं हैं । सपना दिखला देते हैं और आजकल तो टी.वी. के माध्यम से सपनों की कमी नहीं हैं । सपना दिखा गया और जब सपना टूट जाता है तब क्या होता है Then, you call them naxalites; you call them terrorists; you call them communalists; you call them caste-based outfits. Then, you will find communal violence, communalism and all such problems there, सपना टूट गया, जब सपना टूट गया then frustration. And, frustration leads to desperation, the desperation leads to such elements. These are such elements in this country, who will take advantage of it in and outside. Is this the India you are talking about? Is this the Bharat you are talking about? I

am sure these points will be kept in mind by the Government, by the Minister concerned, while repling to this. I fully support this Resolution.

श्री कृपाल परमार(हिमाचल प्रदेश)ः धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले 50 सालों से राजनीति के गर्भ में पल रहे ये तीन राज्य नवजात शिशु की तरह केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसी संदभ्र में श्री एस.एस. अहलुवालिया द्वारा यह संकल्प लाया गया है कि किस तरीके से इन राज्यों को जो अभी तीन वर्ष पूर्व वजूद में आए हैं उनको किस-किस तरह की सुविधाएं चाहिए ताकि वे देश के बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से अलग करके उत्तराचंल, छत्तीसगढ और झारखंड राज्यों का गठन हुआ। कई सालों से लोगो की मांग थी कि इन लोगों की भोगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते इन राज्यों को नए राज्य बनाया जाए और कई कारणों से यह काम लटकता रहा। अंततः श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उन लोगों की मांगों को मान्यता दी और नवम्बर 2000 में ये राज्य 26वें,27 वें और 28वें राज्य के रूप में भारतीय गणराज्य के सदस्य बने।

मान्यवर, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए घर में अलग से व्यवस्थाएं की जाती है। बच्चे का टॉवल अलग हो, बच्चे को लपेटने का कपड़ा अलग हो, बच्चे के लिए बच्चों का साबुन अलग हो, बच्चे के लिए बच्चों का तेल अलग हो। उसी प्रकार की सुविधाएं इन तीनों राज्यों को चाहिए। जहां उत्तरांचल के पास प्राकृतिक सौंदर्य है वहीं झारखंड और छत्तीसगढ के पास खनिज सम्पदा है। उत्तराचंल के पास बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है लेकिन इन राज्यों के पास इतने संसाधन नही है कि वे खनिज और बिजली का उत्पादन करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मान्यवर, किसी भी राज्य को तरक्की करने के लिए वहां वर कानून और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, उसके आर्थिक साधन ठीक होने चाहिए और वहां पर आपसी भाईचारा और तालमेल ठीक होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे साथी अजय मारू जी ने कहा कि झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से जूझ रहा है, मैं केन्द्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं होगी, तब तक वहां पर तरक्की नहीं हो सकती इसलिए प्रदेश को पुलिसा बल या दूसरे जो संसाधन उग्रवाद और नक्सलवाद को रोकने के लिए चाहिए, वह मुहैया कराए जाएं ताकि झारखंड में अमन और शांति कायम हो, ताकि लोगों का ध्यान तरक्की की तरफ लगे।

मान्यवर, किसी भी राज्य में जब तक आपसी भाईचारा ठीक नहीं होगा, तब तक वह राज्य तरक्की नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ और झारखंड में जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वहां पर अधिक संख्या आदिवासियों की और अनुसूचित जाति के लोगों की है। वहां पर आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहो है। यहां पर मिशनीर जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं , उससे इन प्रदेशों का जो आपसी तालमेल है, लोगों का आपसी भाईचारा है, उसमें विध्न आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जहां पर इन प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और सारी सहुलियतें जो प्रदेश राज्यों को मिलती है, वह दी जांए उसके साथ-साथ ऐसे कानून भी बनाए जांए जिनसे वहां पर जो नीची जातियों का और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको रोका जा सके। पिछले सत्र में मैं धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए ऐसा ही संकल्प लाया था। कांग्रेस के लोगों ने शायद अपनी नेत्री के कारण उसका विरोध किया था

लेकिन मेरा आज भी मानना है कि जब तक देश में धर्म परिर्वतन नहीं रूकेगा, तब तक देश तरक्की के रास्ते नहीं चलेगा और आपसी सदभाव पर हमेशा कुठाराघात होता रहेगा।

मैं एस.एस. अहलुवालिया जी का धन्यवाद करता हूं कि वे इस वक्त पर ऐसे संकल्प को लेकर आए है और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि ये प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।

श्री हरीश रायत (उत्तरांचल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अहलुवालिया जी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, देश और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इन राज्यों को, जिनका उन्होंने अपने संकल्प में उल्लेख किया है, बने हुए तीन वर्ष होने का आ रहे हैं। और इन तनी वर्षो में ये राज्य अपने विकास की किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस पर विवेचन करने का,एक thoroughविश्लेषण करने का अवसर हम सबको यहां पर मिल रहा है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को भी इन तीनों राज्यों की सरकारों से परामर्श करके यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये राज्य अपने विकास की उस मंजिल की ओर बढ़ पा रहे हैं जिसकी ओर बढ़ने के उद्देश्य से इन राज्यों का सृजन किया गया था ? जब लोकसभा में बिल लाया गया था इन राज्यों के सृजन का, उस समय दर्शक दीर्घा से मैंने माननीय गृह मंत्री जी को इसका पायलट करते वक्त जो विचार उन्होंने व्यक्त किए थे, सुना था। उन्होंने कहा था कि इन तीनों राज्यों का सृजन आर्थिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा था कि इन तीनों राज्यों के पास अथाह प्राकृतिक संपत्ति है मगर उस प्राकृतिक संपत्ति का ठीक से दोहन नहीं हो पा रहा है, उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग जो उनकी होनी चाहिए थी, वह प्रॉपर प्लानिंग बड़े राज्य का अंग होने के कारण नहीं हो पा रही है। जब ये तीन राज्य सृजित हुए-उन्हीं में से एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मुझे भी अवसर मिला है और मैं भी उत्तरांचल का रहने वाला हूं – उस समय हमें यह लगा कि सरकार ने बहुत सोच-विचार कर एक योजना के अंतर्गत इन राज्यों का सृजन किया है मगर पिछले तीन सालों की तरफ जब हम नज़र डालते है तो हमें निराशा होती है और माननीय अहलुवालिया जी, आपके मन में भी यह संकल्प पेश करते समय शायद यही बात आई होगी, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि इन राज्यों को वास्तविक अर्थो में आर्थिक विषमता दूर करने के उद्देश्य से सृजित करने के बजाय केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सृजित किया गया। कहीं न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जो आज की सरकार का एक मेजर फैक्टर है, उसको यह लगा कि हमारा यह राजनीतिक वादा हैं और इस राजनीतिक वादे को हमें पूरा करना है। यदि सरकार ने वास्तविक अर्थो में जनता की आकांक्षा की पूर्ति के लिए, जिस भावना से वहां के लोग राज्य मांग रहे थे- उसकी पूर्ति के लिए इन राज्यों का सृजन किया होता तो इनका कोई न कोई एक अल्पकालिक दीर्घकालिक इकानॉमिक प्रॉस्पेक्टिव प्लान केंद्र सरकार के पास होना चाहिए था।

सर , बड़े राज्यों के विभाजन की मांग इस देश में लंबे समय से उठती रही है। इंदिरा जी के समय में भी पंजाब के विभाजन के बाद दो नए राज्य बने थे-हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को आज छोटे राज्यों के डेवलपमेंट का एक मॉडल माना जाता है, एक उदाहरण माना जाता है, एक अनुकरण माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इंदिरा जी ने जिस समय उस राज्या का सृजन कराया था, उस समय उन्होंने उसका इकानॉमिक प्रॉस्पेक्टिव प्लान भी तैयार किया था और उसके लिए उस राज्य की यथासंभव मदद भी की थी कि वह राज्य

कर सकती है-उन्होंने उस सहयोग के बिंदुओं को खोजा था, उनको चिन्हित करने का काम किया था। आज अकेले उत्तरांचल में नहीं, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर कुछ दुख भी होगा और मैं समझता हूं कि सरकार के कुछ लोग भी इस बात को गंभीरता से महसूस करेंगे कि जिस मकसद से वहां की जनता ने ये तीनों राज्य मांगे थे और केंद्र सरकार ने कहा था कि हम दे रहे हैं-आज उस दिशा को ये प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में शनैःशनै निराशा आ रही है। झारखंड के अंदर आज आपको यह हिम्मत नहीं है-दूसरे राज्यों में जिस तरीके से आप हिम्मत बांघकर यह कह देते हैं कि यहां भी विधान सभा भंग कर दो और चुनाव हो जाने चाहिए, आपको हिम्मत नहीं है और आज आप वहां घबरा रहे है। आपको दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े और अभि फिर तैयारी हो रही है। असंतोष पनप रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जो भी सरकारें वहां पर आ रही हैं, वे जनता की आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें नहीं करना चाह रही हैं क्योंकि आपकी तरफ से, केन्द्र की तरफ से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। आज यहां पर विशेष राज्य के दर्जे की बात कहीं गई। मुझे खुशी है कि एक अच्छा सुझाव अहलुवालिया जी ने दिया है। इस सुझाव से कहीं पर भी विचार भिन्नता का सवाल पैदा नहीं होता है। सौभाग्य से उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि राज्य बनने से भी पहले हम विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र थे। एटोमेटिकली हमको विशष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था लेकिन बाद में आपने उसको एक पॉलिटिकल डिमांड के रूप में पूरा किया। जैसे भी आपने इसे पूरा किया, इसके लिए हम आपके धन्यवादी है। हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन अकेले क्या विशेष राज्य का दर्जा, इन राज्यों की समस्या का समाधान है, नहीं हैं। क्योंकि इन राज्यों के पास अपने संसाधन नहीं है। ये राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले से ही पिछड़े रहे हैं। आप उत्तरांचल को देखिए। जिस राज्य के पास अपना एक भी हवाई अड्डा न हो, जिस राज्य के 13 जिलों में से 10 जिले ऐसे हों जहां रेल की एक इंच भी लाइन न हो, जिस राज्य के पास नेशनल हाई वे का, राज्यों में सबसे कम शेयर हो, जिस राज्य के पास आज भी कम्युनिकेशन के साधन अपनी पुरानी अवस्था में हों, आज के समय में जब आर्थिक उदारीकरण की बात हो रही है, वह राज्य कैसे दूसरे राज्यों के साथ कदमताल मिलाकर चल सकता है ? कैसे अपने संसाधनों को विकसित करने का काम कर सकता है ? उत्तरांचल में हमारे पास अपूर्व जल सम्पदा है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इतनी जल सम्पदा है कि यदि हमें थोड़ी मदद मिल जाए तो हम पूरे उत्तरी भारत का सहारा बन सकते है। यदि हमें थोड़ी मदद मिल जाए तो हम सारे उत्तरी भारत की पीने के पानी की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें आपकी दिल्ली भी है जिसमें हमारी संसद स्थित है, यह क्षेत्र भी इसमें आता है। क्या हम सौ मेगावाट बिजली पैदा करने की स्थिति में है, नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जनता की प्रारंभिक आवश्कता जो पीने का पानी है, उसके लिए सड़को को ठीक करना है, प्राइमरी स्कूल देना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देना, आप इस मामले में लड़खड़ा रहे है। इसके लिए जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो कहां से हम इन बुनियादी ढांचे की चीजों और अपनी प्राकृतिक सम्पदाओं के दोहन करने का काम करेंगे। हमारे मित्र ने बायोडायवर्सिटी की बात कही है। मध्य हिमालय का क्षेत्र पूरे राष्ट्र की डायवर्सिटी का केन्द्र है। अखुट जैविक सम्पदा इस क्षेत्र के अंदर बिखरी पड़ी है। यहां तक चीन उसका लाभ उठा रहा है, नेपाल उसका लाभ उठा रहा है लेकिन हम उसका लाभ नही उठा पा रहे हैं। इसलिए लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योकि उसकी अभी तक योजना नहीं बनी है और राज्य सरकार योजना बना रही

है तो उसके लिए हमें केन्द्र सरकार से अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही है। आज हमें वह अपेक्षित मदद चाहिए। मध्य हिमालय अकेले अपने लिए नहीं है। हमारा जो उत्तराचंल का भूभाग है, वह केवल अपने लिए नहीं खड़ा है। वह सारे उत्तरी भारत की जो डायवर्सिटी है, उसकी भी रक्षा करता है और साथ ही साथ पर्यावरण के संतुलन का भी काम करता है। हमारे उत्तरांचल में जितनी लैंड है, उसका लगभग 70 प्रतिशत वनाच्छादित है। या तो बनाच्छादित है या प्रोटेक्टिव फोरेस्ट एरिया कि अंतर्गत आता है। हमको केवल तीस प्रतिशत क्षेत्र में खेती की एक्टिविटीज करनी है। हमारी एक करोड़ जनसंख्या है और मैदानी भू-भाग बहुत कम है। जो तीस प्रतिशत क्षेत्र है उसका 90 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग है। जहां पर हम केवल आसमानी वर्षा पर निर्भर करते हैं। रोजगार के साधन नही हैं।धीरे-धीरे रोजगार कम हो रहे हैं और एन.डी.ए. की सरकार की कृपा से तो अब और कम होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएगे। यह एक दूसरा विषय है जिस पर मैं इस वक्त चर्चा नहीं करना चाहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please try to be brief.

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I am going to conclude, कहना चाहूंगा कि हम अपनी मानव सम्पदा को जो जनसंख्या है, उसके लिए रोजी-रोटी का साधन कहां से पैदा करें ? हम कैसे उन्हें काम दे? इसके लिए जब इमदाद मांगी जाती है तो केंद्र सरकार रूटीन मैथेड में कहती है कि जिस तरह से हम दूसरे राज्यों की मदद करेंगे, उसी तरीके से आपकी मदद करने का भी काम करेंगे। यदि हम अपनी वन भूमि में कहीं पर अतिक्रमण करते हैं,थोड़ा सा भी हिस्सा एग्रीकल्चरल या दूसरे डेवलेपमेंटल परपजस के लिए लेते हैं तो उस समय सारे देश को यह लगता है कि पर्यावरण संतुलन का जो काम मध्य हिमालय कर रहा है हम उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। मैं तो माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा, आपसे निवदेन करना चाहूंगा, योजना आयोग को विचार करना चाहिए, भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए कि आज समय आ गया है कि उत्तराचंल जैसे राज्य, हिमाचल जैसे राज्य, जिनका पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, जो सारे उत्तरी भारत के पर्यावरण संतुलन का काम करते हैं,जो यहां के लिए जल सृजन का काम करते हैं , वहां की सरकार वनों पर आधारित न हों, उसकी संपदा के आधार पर अपनी आय बढ़ाने का काम न करे, इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए आए। हमें इस बात के लिए कम्पेनसेट किया जाना चाहिए कि हम अपने जंगलों की रक्षा कर सकें, उसका सत्तर प्रतिशत बनाए रख सकें। वहां पर हमारी जो जनसंख्या है, जोग हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के संसाधन विकसित करने लिए, ताकि हमारे लोग जंगलों की तरफ न जाएं, दूसरे साधनों का उपयोग करने का काम कर सकें, इसके लिए हमारी मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार को वहां पर भू-संरक्षण,दूसरे ,तीसरे कामों को, जिनको करना, नीचे के एरिया में, डैम आदि की रक्षा के लिए आवश्यक है, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ न आए, इसके लिए आवश्यक है, उसके लिए हमें पर्याप्त मदद दी जानी चाहिए। केवल स्पेशल कैटेगिरी कह देने से काम नहीं चलेगा। अहलुवालिया जी ने अपने भाषण में कहा है कि विजन 2020 के लिए इन राज्यों को तैयार होना है और उसके लिए केंद्र सरकार को अभी से एक पृथक योजना इन तीनों राज्यों के लिए बनानी चाहिए। सौभाग्य से ये तीनों राज्य एक साथ बने हैं और करीब-करीब एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करने का काम भी कर रहे हैं। ये एक ही प्रकार की जैविक विविधता के केंद्र भी है, पर्यावरण के संतुलन का काम भी कर रहे हैं, हमारी जो आर्थिक

समानांए है वे भी एक-दूसरे के साथ मेल खाने का काम करती है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केंद्र सरकार इन तीनों राज्यों के लिए एक प्रोस्पेक्टिव प्लान लाए। दुर्भाग्य से लोकसभा शायद 6 या 7 तारीख को डिसोल्व हो जाएगी, सरकार के पास भी समय नहीं है मगर आगे के लिए एक उदाहरण बन जाए, इसके लिए आज भी मंत्री जी इस बात को यहां कह दें कि इन राज्यों के लिए, हम प्रथक्-प्रथक् तीनों राज्यों के लिए विजन 2020 के लिए योजना बनाने का की जरूरत पड़ेगी वह केंद्र सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इन राज्यों के अंदर वन संपदा का संरक्षण हो सके, इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है, केंद्र सरकार उसे केम्पेनसेट करने का काम करेगी, वहां रोजगार के साधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता मानकर उन क्षेत्रों को विशेष संरक्षण देने का काम किया जाएगा, मैं समझता हूं कि तभी यह संकल्प अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा और तभी हम इन राज्यों के सृजना की जो भावना थी,जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन लोकसभा में व्यक्त किया था, हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे,वहां की संघर्षशील जनता की भावना के साथ न्याय कर पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूती के साथ इन राज्यों के पक्ष में उठकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो जैसी मेरे कुछ मित्रों ने आशंका व्यक्त की है, दो क्षेत्र तो पहले ही नक्सलवाद की चपेट में है, हमारे उत्तराचंल के पड़ोस में नेपाल के अंदर गरीबी के कारण जिस तरीके से माओवादी गतिविधियां बढ़ रही है, जिस तरीके वहां एक प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता आ रही है उसका प्रभाव उत्तरांचल पर भी पड़ सकता है क्योंकि हमारा इलाका सीमा का इलाका है। हमने राष्ट्र के हर संकट के वक्त में एक अच्छे चौकीदार की भूमिका अदा की है मगर जब हमारे ही नौजवानों के अंदर फ्रस्टेशन पैदा होगा और वे बगल में देखेंगे कि हिंसा और बंदूक की गतिविधियां बल प्रापत कर रही है तो वे कितने दिन तक इससे अछूते रहे जाएंगे। आज ऐसी गतिविधियों से उन्हें बचाने के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड को बचाने के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता मानकर केंद्र सरकार को प्रभावशाली भूमिका अदा करनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Prof. R.B.S. Varma. Please try to be very brief.

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा(उत्तर प्रदेश)ः श्रीमन् , मैं आपके आदेश का अनुपालन करने का प्रयत्न करूंगा, परन्तु मेरे जैसे वक्ता, जिसे कभी-कभी समय मिलता है, पर आपने प्रांरभ में एक ब्रेक लगा दिया है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि कुछ बातें कहने का मुझे अवसर दिया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात, आपके माध्यम से, इस सदन के सम्मुख रख सकूं।

महोदय, सब से पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण गैर सरकारी संकल्प के संबंध में, जोकि हमारे विद्वान सहयोगी आदरणीय श्री एस. एस. अहलुवालिया साहब ने रखा है, बोलने का अवसर दिया। उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से 26वें,27वें व 28वें राज्य के रूप में स्थापित छतीसगढ उत्तराचंल और झारखंड राज्यों में जो व्यापक समस्यायें है, उन समस्याओं के निदान के संबंध में अपने सुझाव व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्व करता हूं और उनका समर्थन करता हूं। मुझे से पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए है, उनके अधिकांश विचारों से मैं सहमत हूं और उनसे अपने को सम्बद्व करता हूं।

मान्यवर, प्रांरभ में मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर देश को विकास के पथ पर ले जाना है, देश को विकसित करना है, तो इसकी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, ग्रामों का विकास करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को विकसित करना पड़ेगा । ये जो नव निर्मित तीन राज्य है- उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन प्रदेशों में 75 फीसदी से भी अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है । समान रूप से अगर देखा जाए तो इन तीनों राज्यों में अधिकांशतः आदिवासी लोग और पिछडे लोग रहते है और देश के अन्य भागों से इन राज्यों की जो ग्रामीण जनता है वह कहीं अधिक पिछड़ी हुई है । महोदय, ये तीनों राज्य कई मामलों में समानता रखते हैं । जैसे कि आदरणीय हरीश रावत जी बोल रहे थे, इन तीनों राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है और ये तीनों राज्य प्राकृतिक संपदा से समृद्व होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए है । तीनों राज्यों में प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर की बहुलता है औ पर्यटन की प्रबल संभावना है, परन्तु अभी तक कुछ समुचित और सम्यक ध्यान नहीं दिया गया है । झारखंड और छत्तीसगढ़ में आर्थिक असमानता के कारण नक्सलवाद का आंदोलन, जोकि अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है, जोकि आम लोगों के शोषण और औद्योगिक उन्नति एंव व्यापार का विरोध हो गया है, इन दोनो राज्यों में परिलक्षित होता है । संभवतः इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए और इन क्षेत्रों में प्रवास करने वाले नागरिकों की भावनाओं का समादर करते हुए, वर्तमान सरकार ने 26वें,27वें और 28 वें राज्यों के रूप में इनकी स्थापना की है । मैं आपके ओर इस माननीय सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उसने जनभावनाओं का समादर करते हुए, सही समय पर, सही कदम उठाते हुए, इन राज्यों की स्थापना की है । अपनी स्थापना के बाद से, संसाधनों के अभाव में जूझते हुए भी, इन राज्यों ने कुछ उल्लेखनीय प्रगति भी की है , विशेष रूप से झारखंड और छतीसगढ़ राज्यों ने । वहां जो किंचित मात्र आधारभूत ढांचा था, जोकि नगण्य ढ़ांचा था, उसको खड़ा करने में इनका काफी सराहनीय योगदान रहा है । पूर्व वक्ता आदरीणीय श्री संघ प्रिय गौतम जी ने बिल्कुल सही कहा था...।

आदरीणीय रावत जी ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि उत्तराचंल में जल विद्युत उत्पादन की इतनी क्षमता है कि अगर उस का ठीक से दोहना किया जाय तो उस से पूरे देश की विद्युत मांग की आपूर्ति की जा सकती है । महोदय, उत्तराचंल में इतने भव्य, सुंदर, रमणीक व ऐतिहासिक स्थल हैं कि अगर उन्हें ठीक से विकसित किया जाय तो यह प्रदेश न केवल आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर हो सकता है बल्कि वह भारत के अन्य उन्नत व समृद्व राज्यों के समकक्ष बन सकता हैं ।

मान्यवर, झारखण्ड कोयल व अन्य खनिज पदार्थो से अत्यंत सम्पन्न है । इस प्रदेश में पर्यटन उद्योग के लिए भी प्रचुर संभावना है । हर्बल मेडिसिंस से जुड़े उद्योग की भी प्रबल संभावना है । ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तीकरण के लिए यहां मत्स्य-पालन उद्योग की अनन्त संभावनाएं है । चूंकि झारखंड में बावड़ियों व तालाब आदि से पानी की उपलब्धता है । मैं समझता हूं कि अगर इन स्रोतों का ठीक से दोहन किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस से विशेषकर ग्रामीण आदिवासियों के जीवने को उन्नत बनाया जा सकता हैं और सही अर्थो में केवल इसी माध्यम से एम्पावरमेंट ऑफ विलेजर्स झारखंड में हो सकता हैं । साथ-ही-साथ झारखंड में पशुधन की भी

अत्यंत उपलब्धता है जिस से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और इस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का समृद्वीकरण हो सकता है ?

मान्यवर, छत्तीसगढ़ भी खनिज संपदा से परिपूर्ण है । इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य पत्थर ही नहीं बल्कि हीरे, जवाहारात भी पाए जाते है और अगर इन का सम्यक रूप् से दोहन किया जाय तो न केवल प्रदेश के लोगों का जीवन उन्नत बनाया जा सकता है, इसे से न केवल इस प्रदेश को आर्थिक रूप से भी उन्नता बनाया जा सकता है बल्कि देश को प्रचुर मात्रा में विदेशी पूंजी उपलब्ध हो सकती है ।

मान्यवर, मैं ने संक्षिप्त में इन प्रदेशों में पाए जाने वाले संसाधनों का ज़िक्र किया हैं, इन के अलावा और भी बहुत से संसाधनों की संभावनाएं वहां हैं । मैं चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसी कार्यदल का गठन करे और उन संभावनाओं को तलाशे जोकि इन प्रदेशों में उपलब्ध है और उस के पश्चात् एक रणनीति बनाकर अगर उन संसाधनों का सम्यक रूप से उपयोग किया जा सके तो मैं समझता हूं कि ये प्रदेश उन्नत प्रदेशों में सम्मिलित होकर न केवल समृद्व हो सकते हैं बल्कि एक समृद्वशाली भारत के निर्माण में सहयोगी भी बन सकते हैं ।

मान्यवर, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नक्सलवाद के बारे में ठीक ही उल्लेख किया । चाहे झारखंड का मामला हो या छत्तीसगढ़ का मामला हो, भले ही वहां आर्थिक विषमता का कारण रहा हो या शैक्षिक रूप से पीछे रहने का कारण रहा हो, वहां नक्सलवाद पनपा और बढ़ा है । आज नक्सलवाद अपने उद्देश्य से भटक गया है । इस के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । अब इस का मुकाबला कैसे किया जाए, इसे कैसे समाप्त किया जाए, इस के लिए एक मल्टी-प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी बननी चाहिए । आदरणीय गृह राज्य-मंत्री जी बैठे हैं । उन्होंने इस विषय में जरूर विचार किया होगा । इस बारे में स्ट्रेटेजी भी बनी होगी । लेकिन केवल ताकत के बल पर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं मानता हूं । महोदय, इस के लिए जरूरी है कि इन प्रदेशों में आर्थिक विषमता कम हो, आर्थिक समानता लायी जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए , अन्य संसाधन बढ़ाए जाएं और जैसाकि आदरणीय अहलुवालिया जी ने अपने संकल्प में कहा इन राज्यों को विशेष दर्जा किया जाय । मैं तो यह भी कहूंगा कि विशेष दर्जा देने से काम नहीं बनेगा बल्कि कोई विशेष पैकेज दिया जाए या इन प्रदेशों को पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाय और वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से दोहना किया जाय तो मेरा विश्वास है कि जो पैकेज केन्द्र की सरकार इन प्रदेशों को देगी उस से कहीं ज्यादा धन बाद में केन्द्र सरकार को विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त हो सकता है । अगर इस प्रकार की कोई रणनीति बनायी जाए तो मैं समझता हूं कि इन प्रदेशों का सम्यक विकास हो सकता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय,इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आप ने पहले ही आगाह कर दिया थ्ड्डा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखूं इसलिए आप की भावनाओं का आदर करते और अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय अहलुवालिया जी के...आदरणीय अहलुवालिया जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं । साथ ही आपने जो मुझे इस पर बोलने का समय दिया उसके लिए पुनः एक बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।धन्यवाद ।

5.00 P.M.

THE VICE - CHAIRMAN (DR. A.K.PATEL): The Government may respond to the debate.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)ः उपसभापध्यक्ष जी, तकरीबन 13 आदरणीय सांसदों ने इस डिबेट में भाग लिया, जो अहलुवालिया जी ने शुरू की थी। यह एक बहुत ही सार्थक डिबेट रही। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव भी आए, बहुत सारे सजेशन्स भी आए, बहुत सारी मंत्रणा भी दी गई कि क्या-क्या हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कहीं जा सकती है कि सबके मन में एक बात थी कि "विजन 2020" जो हमारे राष्ट्रपति जी ने विजन रखा है उसको किस तरह से हम पूरा कर सकें। केवल तीन स्टेट्स की बात नहीं है बल्कि सभी स्टेट्स और मैं यह समझता हू कि अगर सारा देश उस मिशन "विजन-2020 " को लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी स्टेट इस स्तेज पर आकर यह नहीं कहेगी कि हमें स्पेशल कैटेगरी की स्टेट माना जाए या हमें कोई विशेष दर्जा दिया जाए। विशेष दर्जा देने से कुछ साधन ज्यादा मिल जाते है, लेकिन हम चाहेंगे कि ओवरऑल डवलपमेंट हो, पूरा विकास हो, वह विकसित स्टेट बने तो वह तभी बन सकेगी जब सारा देश विकसित होगा और जब सारा देश विकसित होगा तो चाहे वह झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तरांचल हो, सभी प्रांत ही विकसित होंगे। अब तक इन पिछले पांच-छह सालों में इस सरकार ने पूरी कोशिश की है कि इस देश को ऐसी पटरी पर चलाया जाए , इस देश को वह दिशा दी जाए, इस देश के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जाए, जिसके आधार पर यह देश एक विकसित देश बन सके और उस विजन को भी, जो राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको भी एक मिशन के तौर पर सरकार ने लिया है। अब जब एक विजन को मिशन के तौर पर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वह विजन हम एचीव कर सकेंगे।

महोदय, जहां तक इन स्टेट्स को एक स्पेशल कैटैगरी की स्टेट् का दर्जा देने की बात है,, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तरांचल को तो पहले से ही, वर्ष 2002 में ही एक स्पेशल कैटेगरी की स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, बाकी जो दो स्टेट्स है उनकी बात आई। मैं बताना चाहूंगा कि इस उत्तराचंल के अलावा बाकी और दस स्टेट्स ऐसी है। अभी प्रो.सोज़ साहब ने ज़िक्र किया था कि जम्मू कश्मीर और नार्थ-ईस्ट की स्टेट्स को यह दर्जा मिलना ही चाहिए, मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा नार्थ-ईस्ट की स्टेट्स को और जम्मू-कश्मीर को पहले से ही स्पेशल कैटेगरी की स्टेट के तौर पर लिया जा रहा है। इस तरह से टोटल 11 स्टेट ऐसी है,जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन उस स्पेशल कैटगरी की स्टेट से होता क्या है ? होता यह है कि जो टोटल सेंट्रल असिस्टेन्स मिलनी होती है स्टेट के प्लान के लिए, उसमें 30 परसेंट जो पैसा है सेंट्रल असिस्टेंस का, वह केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेट को जाता है। यह फायदा उनको जरूर पहुचंता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको इसका फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने सभी तरीके की इतनी पॉलिसी बनाई हैं, इतनी नीतियां तय की हैं, जिसके आधार पर चाहे वह मोडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस हो,चाहे वह ड्राट-अफेक्टेड एरियाज हों, चाहे हिल स्टेट्स हो, चाहे बैकवर्ड स्टेट्स हों, चाहे बोर्डर स्टेट्स हों, इनके लिए क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर सभी स्टेट्स का समुचित तौर पर उनका डवलपमेंट करने का पूरा प्रयास किया है। और उसमें काफी धन उन स्टेट्स को, चाहे ये बार्डर स्टेट्स हों,चाहे वे हिल्स स्टेट्स हों, चाहे ड्राट अफेक्टिड

हों, जो-जों स्टेट्स इस तरह की अलग किस्म की समस्याओं से घिरी हुई हैं, उनकी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने अलग-अलग स्पेशल सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम देकर उन स्टेट्स को फायदा पहुंचाया है। अब किसी भी स्टेट को स्पेशल केटेगरी स्टेट बनाने के लिए यह तो आवश्यक होगा कि कोई उसका क्राइटेरिया हो, आब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया हो। यह क्राइटेरिया निश्चित करने के बाद प्लानिंग कमीशन वह प्रस्ताव एन.डी.सी.मैं भेजता है। चूंकि प्लांनिक कमीशन के मंत्री यहां उपलब्ध नहीं थे किसी वजह से इसलिए यह प्रिविलेज मुझे मिला,मेरे जिम्मे यह काम लगा कि मैं इसमें भाग ले सकूं। मैने यह पता किया कि किसी स्टेट को स्पेशल केटेगरी का स्टेट कैसे डिक्लेअर किया जाता है तो पता लगा कि स्पेशल केटेगरी स्टेट के लिए एन.डी.सी., नेशनल डेवलपमेंट कांउसिल, जिसमें सभी मुख्य मंत्री मैम्बर है, वह यूनेनिमसली इसका डिसीजन लेते है और प्लानिंग कमीशन उसमें अपना प्रस्ताव भेजता है और प्रस्ताव भेजने से पहले उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिस क्राइटेरिया में स्पेशल केटेगरी स्टेटस देने के लिए उसमें है- hill-terrain, strategic location on the border with neighbouring countries, inadequate economic and social infrastructure, predominantly large tribal population and limited and weak resource base compared to the developed States. ये सब चीजें समुचित तौर देखकर जो प्रस्ताव प्लानिंग कमीशन की तरफ से एन,डी.सी.के सामने जाता है, एन.डी.सी. अपनी बैठक में यूनेनिमसली डिसीजन लेती है। यह डिसीजन समय-समय पर लेकर 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है। बाकी सारे देश को उन्नत करने के लिए, सारे देश का विकास करने के लिए जो हमारा विजन है कि 2020 में यह विकसित देश बने, विकासशील देश न रहे , उसके लिए जितनी समस्याएं है, उनके लिए आलरेडी स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए अलग-अलग से बहुत सारी स्कीम्स है। वैंसे सैंट्रल गवर्नमेंट उन ऐफर्ट को सप्लीमेंट करती है लेकिन अगर यह देखा जाए तो बेसिकली, मूलतः अपने रिसोर्सिज को, जैसे झारखंड में बहुत सारा अपना पोटेंशियल है, छत्तीसगढ़ में भी अपना पोटेंशियल है, उत्तराचंल में भी अपना पोटेंशियल है, हिमाचल में भी अपना पोटेंशियल है, उन सब पोटेंशियल को, उन सब शक्तियों को, उन सब साधनों को तो स्टेट के पास है , उनको डेवलप करने का, विकसित करने का काम उनका अपना है, लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट की भी केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वे स्टेट्स अपने उन साधनों को विकसित कर सकें, उसके लिए अपनी पूरी-पूरी मदद की जाए और उसके लिए सैंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम दी जाती है और उन सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में असिस्टेंस स्टेट को देते समय यह सारी चीजें की जाती हैं- Central assistance for State Plans through weightage in the formula used for distribution of Central assistance. फाइनैंस कमीशन भी हर साल सारी चीजों को देखते हुए सारी स्टेट्स के लिए ऐलोकेशन करता है कि किस तरह से कितना- कितना फंड किस स्टेट के लिए दिया जाएगा। 11 वें फाइनेंस कमीशन ने 10 वें फाइनेंस कमीशन के बाद उसको 62 परसेंट तक बढ़ाया और अभी 12वां फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सब्सिट करने वाला है, उसमें भी सभी स्टेट्स के साधनों को उनकी, समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए फाइनेंस कमीशन, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सारी चीजों को देखकर अपनी सिफारिश करता है और उसके मुताबिक पैसा दिया जाता है। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से Border Area Development Programme, Hill Area Development Programme, Desert Development Programme, Drought-Prone Area Development Programme,

Programme for Poverty Alleviation, Employment Generation in the Infrastructure Development. इनक तरफ ध्यान देते हुए उनको अलग से जिस-जिस समस्या से जो प्रदेश ग्रस्त है, उस समस्या को हल करने के लिए यह सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम उनके पास पहुंचती है ।

नक्सलवाद का ज़िक्र आया कि चूंकि विकास नहीं होता , चूंकि उनके पोटेंशियल को विकसित करने के उनके पास साधन नहीं होते, इसलिए ये बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है । इसके लिए भी भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी-अभी, रिसेंटली ही होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पर प्लानिंग कमीशन ने उन लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट्स की समस्या से प्रभावित 55 नक्सलवाद डिस्ट्रिक्ट्स को, जो सीमित है तकरीबन 9 या 10 स्टेट्स में, जिनमें झारखंड भी आता हैं, छत्तीसगढ़ भी आता है, उन सबको डेवलप करने के लिए, उनका क्रिटिकल, फिज़िकल और सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 15 करोड़ रूपया प्रति डिस्ट्रिक्ट, प्रतिवर्ष तीन साल तक 2475 करोड़ रूपया केवल इस बात के लिए दिया ताकि इस समस्या से उन इलाकों को छूट मिल सकें, उनसे छुटकारा मिल सकें और इस समस्या का समाधान हो सके । मेरे कहने का तात्पर्य यह हे कि चाहे वह naxalite affected area हो, चाहे वह drought affected area हो , जिन-जिन स्टेट्स की जो-जो समस्यांए है,उनके लिए समय-समय पर केन्द्र सरकार ने ऐसी स्कीम्स निकालर, खूब सोचने के बाद नयी स्कीम्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा साधन अपनी तरफ़ से उनको दिए हैं । जहां पर कोई insurgency है,उसका मुकाबला करने के लिए जो security related expenditure है चाहे वह नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हों, चाहे वह बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो , चाहे जम्मू-कश्मीर हो, कोई भी राज्य हो, जहां भी security related expenditure की बात बात आती है, security related expenditureके लिए जितना पैसा स्टेट्स की सरकारें खच्र करती है, उसका 50 परसेंट से ज्यादा पैसा केन्द्र की सरकार उनको re-imburse करती है । इसी तरह से modernization of Police के लिए बहुत सारे प्रदेशों की मांग रही है और यह मांग ठीक भी है क्योंकि आंतकवाद का जो माहौल है, वह सारे देश की समस्या है । इसका मुकाबला करने के लिए प्रदेशों के पास साधन नहीं होते, उनके पास नए हथियार नहीं होते, नए इक्विपमेंट्स नहीं होते नए व्हाईकल्स नहीं होते । इसके लिए स्टेट पुलिस को मार्डनाइज किया जाना जरूरी है ।

श्री हरीश रावत: मैं एक सवाल पूदना चाहता हूं । जैसे उत्तराचंल के पड़ोस में नेपाल में माओवादी गतिविधियों बढ़ने से हमारे बॉर्डर के अदंर भी उन गतिविधियों का प्रभाव पड़ने लग गया है । उसके कारण हमारे राज्य में policing में कठिनाई आ रही है । क्या आप हमको भी इसके लिए विशेष मदद देंगे ताकि हम अपने पुलिस बल को और अपग्रेड कर सकें और उनको गाड़िया और आधुनिक हथियार इत्यादि उपलब्ध करा सकें ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जरूर करेंगे । सिर्फ इतना ही नहीं,पहले 1999-2000 तक पूरे देश में सटेट्स में modernization of Police के लिए केवल 100 करोड़ रूपया हुआ करता था । वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री जी ने जब DGs और Chief Secretaries की पहली Annual Conference बुलाई थी और उनके सामने यह समस्या रखी गई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस राशि को बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपए कर दिया था और उसके बाद लगातार देश के सभी प्रांतों को modernization of Police के लिए एक हजार करोड़ रूपया दिया जा रहा है । उसमें एक समस्या आई । वह फिफ्टी बेसिस पर था । उसमें यह प्रावधान था कि एक

हजार करोड़ रूपया हम देंगे और एक हजार करोड़ रूपया स्टेट्स लगाएंगी । अगर इस तरह दो हजार करोड़ रूपया हम हर साल खर्च करें Modrenisation of police पर तो दस साल में वह 20 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा हो जाएगा और इससे हमारी पुलिस सबसे ज्यादा मॉडर्न हो सकती है । जो सेंट्रल पैरा मिनिट्री फोर्सेज है, उनके मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है लेकिन प्रदेश की पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे है । इसमें एक समस्या यह आई कि बहुत सारी स्टेट्स के पास इतने साधन नहीं थे, उनको दिक्कत होती थी और वे 50 परसेंट पैसा भी अपनी तरफ से नही जुटा पाते थे और उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे, फिर उसके आधार पर उनको और पैसा नहीं मिल सकता था । उस स्कीम को फिर रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद अब तकरीबन सारी स्टेट्स को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है । कुछ स्टेट्स ऐसी है । जिनको 100 परसेंट पैसा सेंटर से माडर्नाइजेशन के लिए मिलेगा । कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको 75 परसेंट पैसा मिलेगा और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको 60 परसेंट पैसा मिलेगा । इस तरह से उनकी तीन कैटेगरीज़ बना दी गई हैं – कैटेगरी ए, कैटेगरी बी-1 और कैटेगरी बी-2 मुझे पूरा यकीन है कि उत्तरांचल को और बाकी स्टेट्स को उसका बहुत लाभ पहुंच रहा है । यही नहीं, इन स्टेट्स में सड़कों के डेवलपमेंट को भी प्रमुखता दी जा रही है । जैसा मैंने कहा कि physical infrastructure, social infrastructure को डेवलप करने के लिए इन 25 naxalite affected areas में 37 करोड़ रूपया हर साल हर स्टेट को अलग से सड़कें डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दिया जा रहा है । इस तरह कोई मद ऐसा नहीं है जिस मद में केन्द्र की सरकार ने थोडी भी neglligence की हो । उनको पूरी मदद मिलती रही है ।

मैं अहुवालिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे बिंदु की तरफ, ऐसे इश्यू की तरफ ध्यान दिलाया है, हमें चौंकाया है और हमारे अपने vision2020 की तरफ ध्यान दिलाकर यह कहा है कि हम पूरी तरह से उसको एक मिशन के रूप में लेकर चलें । उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं । लेकिन केन्द्र की सरकार से किसी तरह से भी कोई कमी नहीं है और न कोई कमी हम आने देंगे । कई दोस्तों ने, कई सांसदों ने कहा कि हमें एश्यूरेंस दी जाए । हम हमेशा एश्यूरेंस यह देते हैं कि यहां तो जो सोशल लेविल पर जो पीस की बात है चाहे वह जम्मू कश्मीर की बात हो और चाहे बोडोलैंड बनाने की बात हो, इतनी मीटिंग करने के बाद तीन साल तक, चार साल तक लगातार बोडो लोगों से जो अपने रास्ते से भटके हुए थे जिन्होंने वॉयलेंस अपनाया हुआ था उनके साथ बात करके एक पुरानी समस्या का हल किया है । इसी तरह से एन.एस.सी.आई.एन. की जो पीस की टॉक चल रही है । वह भी प्रोग्रेस कर रही हैं । तो कहीं ऐसी बात नहीं है हर तरह से कोशिश की जा रही है । तो इन चीजों को देखते हुए मैं अहलुवालिया जी से एक दरख्वास्त जरूर करूंगा कि जब वे यह रिअलाइज करते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है और एक क्राइटेरिया बना हुआ है और एन.डी.सी.जिसमें सब चीफ मिनिस्टर यूनेनिमसली स्टेट्स का देते हैं स्पेशल केटेगरी का, तो वे अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे ताकि उसके मुताबिक एन.डी.सी. अपना काम करती रहे और जो 11 स्टेट पहले से हैं उनको ऑलरेडि सब कुछ मिल ही रहा है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Now, the mover of the Resolution, Shri S.S. Ahluwalia, will speak.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड)**:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मशकूर है हु उन सारे सदस्यों का जिन्होंने इस गैर सरकारी संकल्प में हिस्सा लिया और अपना योगदान दिया। मेरा मकसद कुछ और था इस गैर सरकारी संकल्प को सदन के सामने लाने के पीछे। महोदय, मकसद सिर्फ इतना था, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक जगह सड़क का निर्माण हो रहा था और कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक आदमी जो अनजान आदमी था तथा उस इलाके से गुजर रहा था, उसने उन मजदूरों में से एक से सवाल पूछा कि क्या कर रहे हो ? वह पत्थर तोड़ने वाला बहुत गुस्से में थ क्योंकि घूप बहुत तेज थी तो उसने जवाब दिया कि-" कि लखा नहीं देवे क्षेत्रा की" मतलब, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। "पत्थर तोडरलिया" –कि पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर उसने पूछा कि पत्थर क्यों तोड़ रहे हों ? बोला, -देवो बाजार के तोरे हथौड़ा तोरे कपाल पर बूझे-कि अब मैं दूंगा तुम्हारे सर पर हथौड़ा पटक कर तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं पत्थर क्यों तोड़ रहा हूं। फिर उसने दूसरे आदमी से पूछा कि तुम पत्थर क्यों तोड़ रहे हो ? तो उसने कहा कि मैं अपनी रोजी कमा रहा हूं, बेराजगार हूं, रोजगार मिला है, रोजी कमा रहा हूं क्योंकि सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता हूं। जो पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार का पालन-पोषण करता हूं। तीसरा एक बुजुर्ग था जो पत्थर तोड़ रहा था। तो उससे पूछा कि तुम क्यों पत्थर तोड़ रहे हो बुजुर्गियत की हालत में ? क्या बच्चों ने तुम्हें पैसे देने बंद कर दिए या खाना देना बंद कर दिया, क्या बात है ? बापू, आप क्यों पत्थर तोड़ रहे है ? तो उन्होंने जवाब दिया कि-सुना है कि प्रगति का रथ शहर से गांव की तरफ आ रहा है और उस रथ को आने के लिए एक रास्ते के निर्मार्ण की जरूरत है और वह रास्ता नही बना तो शायद वह प्रगति का रथ हमारे गावं नहीं पहुंच सकेगा। मैं इसीजिए अपना योगदान दे रहा हूं और पत्थर तोड़ रहा हूं कि शायद उस प्रगति के रथ के साथ-साथ मेरे बच्चे, मेरे नाती, पोतों को गावं से बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की जरूरत न पड़े तथा मैं उनसे वंचित न हांऊ। तो मेरा ख्याल यही था कि इन तीन राज्यों का गठन हुआ था उसके पीछे बहुत सारे आंदोलन थे। कुछ राजनीतिक थे, कुछ सांस्कारिक थे, कुछ सभ्याचार को लेकर थे, कुछ संस्कारों को लेकर थे। उस पर सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई के पीछे जो सबसे बड़ी चीज की जरूरत थी वह थी उस इलाके में विकास को लाना। मैं कहता हूं कि अंग्रेजों ने तो नैनीताल को और मंसूरी को जब समर केपिटल बनाया तो इसलिए नहीं कि वे वहां विकास ले जाना चाहते थे। इसलिए कि वहां आरामगाह बन गए थे। जब बिहार का समर कैपीटल रांची बना तो इसलिए नहीं कि वे वहां विकास ले जाना चाहते थे। क्योंकि वहां पर उस वक्त माहौल अच्छा होता था, वातावरण अच्छा होता था, क्योंकि गरमी बर्दाश्त नहीं होती थी पटना की, इसलिए वहां जगह बनाई थी। आजादी की जो विकास की किरणें उन इलाकों में पहुचनीं चाहिए, वे नहीं पहुंच सकी हैं, वे वंचित रहे हैं। अभी भी इन इलाकों में जाकर देखा जाए कि किस तरह से लोन सोलहवीं शताब्दी और सत्रहवीं शताब्दी में बस रहे हैं। 21 वीं शताब्दी की बातें करने वाले लोग, दिल्ली और बड़े शहरों में बैठे लोग 21 वी शताब्दी की बात तो करते हैं किन्तु ऑलरेड़ी वे 22वीं और 23वीं शताब्दी में जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात करना चाहता था। लक्ष्य 2020 के तहत-उन आदिवासियों के लिए जिनके लिए वायरलैस टेक्नोलॉजी कोई चीज़ नहीं है, जो लोग ट्रम पीटकर अपने कबीलों को सदेंश भेज सकते थे, आज उनके लिए कोई वायलैस टेक्नालॉजी या साउंड टेक्नोलॉजी नयी चीज नहीं है पर उनकी जिस भाषा में है, उस भाषा में उनको वह टेक्नोलॉजी समझाने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य की प्राप्ति हम बहुत आराम से कर सकते हैं। आज जब आईटी का जमाना है, ई-गवनेंस का जमाना है, जब नये

आयाम, औद्योगिक और वैज्ञानिक नयी-नीय चीजें आ रही हैं,उनको यदि हम लागू करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सही वक्त था। महोदय, मैं अगर लक्ष्य 2020 की तरफ चलूं तो आज जो बच्चा 6 वर्ष का है और पहली जमात में जा रहा है इन तीन राज्यों का, अगर उनको हम पहला ऐल्फाबेट स्लेट से नहीं, कम्प्यूटर से शुरू कराएं तो 16 साल में जब वह ग्रेजुएट होगा, वह पूरी तरह लिट्रेट होगा। आज जमाना वह आ रहा है जब हम डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं। पढ़ा-लिखा आदमी, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्ट्रेट की डिग्री है पर अगर कम्प्यूटर चलाना नहीं जानता है तो वह आज के जमाने के हिसाब से, आज की परिभाषा के हिसाब से इललिट्रेट है औरजब हम देश के 97 वें स्वीधनता दिवस का पालन करने जाएंगे उस वक्त जो 1947 में विज्ञान की प्रगति थी या जो सारे विश्व की अवस्था थी और आज जो सारे विश्व की अवस्था है, जहां अपनी प्रतिस्पर्धा परच,कंपीटीटिव वर्ल्ड में कंपीटीशन करके अपनी प्रतिस्पर्धा पर आपको आगे बढ़ना है तो एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए , एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सबसे पहले एक विकसित नागरिक को तैयार करना होगा और आने वाले भारत का 2020 का जो नागरिक है , आज वह पहली जमात में भती होने की तैयारी कर रहा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इसके माध्यम से-हमारे मंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें कही हैं कि हम सैंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से यह यह करते हैं। मैं कहता हूं कि आज नेशनल डेवपलपमेंट काउंसिल की गाइडलाइन्स और क्राइटेरिया में आमूल परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि जो ढरें या क्राइटेरिया आपने उ वक्त इसके लिए बनाए थे, उसमें और आज की जरूरतों में जमीन आसमान का फर्क है। महोदय,मैं कहना चाहता हूं कि सदन ने पूरी तरह से इसका समर्थन किया है और हरेक सदस्य ने बताया- किसी भी कॉर्नर के सदस्य ने ऐसा नहीं कि इसका समर्थन न किया हो क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष की या किसी दल की बात नहीं है। यह एक सशक्त भारत निर्माण की कल्पना, सशक्त राष्ट्र के निर्माण की कल्पना के साथ जुड़ा हुआ एक सपना है और वह सपना तभी पूरा हो सकता हैं जब सब लोग आगे आकर इसके बारें में सोचें। महोदय, मैं यही कहकर आपसे इजाज़त चाहूंगा और चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि हहम आगे भी कर रहे हैं और आगे कुछ और करेगे, तो जब मंत्री महोदय करना चाहते हैं या सरकार चाहती है और सदन के चारों तरफ के लोग चाहते हैं तो में समझता हूं कि सरकार भी चाहेगी और ऐसा कुछ संशोधन आएगा जिसमें हम नई विचारधारा रखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का सपना, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना कि 2020 तक भारत एक विकसित भारत के रूप में पृथ्वी के पटल पर उभरेगा, यह सपना अगर है और उसको साकार करने में सब लोग शरीक होंगे, इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं, धन्यवाद।

The *Resolution was, by leave, withdrawn.*

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is, the 30th January, 2004, allotted time for Government Legislative and other Business as follows:-